

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत
थिरपाक-कण्डई मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से चोपडा कोट
तक मोटर मार्ग का निर्माण ।

क्षेत्रफल -	1.977 हे० सिविल/वन पंचायत
मक डिस्पोजल का क्षेत्र	+ 0.390 हे०
	<u>2.367</u> हे०
लम्बाई -	हे. मकडिस्पोजल
	4.00 कि.मी.

प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग

CHECK LIST

Name of Project : Construction of Motor Road from Thirpak Kandai Motor Road Km 02 to Choprakot.

Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
1- Main Attachments			
1.1	Documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency.	5	Attached
1.2	Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted.	6	Attached
1.3	Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS.	7	Attached
1.4	Google Map of the proposed site showing legal status of the proposed land and alternative examined for the project with legend.	8	Attached
1.5	Note containing justification for locating the Project in forest land.	9	Attached
1.6	Certificate by DM- Forest Right Act-2006	10 - 15	Attached
1.7	Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation	16	Attached
1.8	Colored copy of the google map showing the land identified for CA.	17	Attached
1.9	If non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency? A Copy of ownership proof and No Objection Certificate	18 - 19	Attached
1.10	Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency.	20 - 21	Attached
1.11	Cost benefit analyses (in more than 5.0 ha. Land diversion cases)	—	Not Required, as the Land Diversion is less than 5.0 HA
1- Additional Documents			
2.1	A short narrative and importance of the project.	22	Attached
2.2	Administrative and Financial sanction.	23 - 25	Attached
2.3	Preliminary Joint Inspection report.	26	Attached
2.4	Comperative chart showing statement of both alignment of the proposed project.	27 - 30	Attached
2.5	Certificate from the DM that no alternative suitable non-forest land is available for the project in question and the demand of the forest land for the project is barest minimum.	31	Attached
2.6	Land schedule	32 - 36	Attached
2.7	Category wise land length, width and area	37	Attached
2.8	Bar Chart with index	38	Attached
2.9	Compensatory afforestation scheme in Civil and Soyam land	39 - 42	Attached
2.10	Certificate regarding suitability of indentified land for Comensatory Afforestation	43 - 45	Attached
2.11	Undertaking by the User Agency to bear the cost of compensatory afforestation	46	Attached
2.12	Road side plantation estimate	47	Attached

CHECK LIST

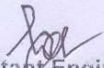
Name of Project : Construction of Motor Road from Thirpak Kandai Motor Road Km 02 to Choprakot.

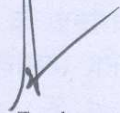
Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
2.13	Undertaking by the User Agency to bear the cost of Road side /gap filling plantation	48	Attached
2.14	Estimate of 100 trees plantation (less then 1.0 ha. cases)	—	Not Required
2.15	Details of the trees with their scientific name	49-50	Attached
2.16	Felling of Oak trees (if involves, inspection report of the concerning CF has to be provided)	51	Attached
2.17	Certificate from DFO If felling of trees is not involved	—	Not Required
2.18	Certificate of felling minimum trees during the project work	52	Attached
2.19	Muck disposal scheme	53-70	Attached
2.20	Status of the project area is a part of National Park or sanctuary and airal distance of the project from National Park or sanctuary	71-72	Attached
2.21	If the project area is within 10 Km radius of National Park or Centuary No objection certificate of CCF Wild Life	—	Not Required
2.22	If the Project falling within the National park or Sanctuary, needs recommendation of State Wild Life Board, National Board of Wild Life (NBWL) and permission of Hon'ble Supreme Court/MoEF Gol.	—	Not Required
2.23	No voilation has taken place, FC Act. 1980 reg	73	Attached
2.24	NOC from local Gram Sabhas	74-75	Attached
2.25	Approved general lay out plan/alignment and estimate from competent authority with name and designation.	—	Not Required
2.26	Component wise details of construction work.	—	Not Required
2.27	Certificate- work has not been started reg.	76	Attached
2.28	Geologist Report	77-80	Attached
2.29	Task Force report	81-82	Attached
2.30	Item wise details of work	83-84	
2.31	Certificate by user agency for complying the condition imposed in Standard Condition		Attached
2.32	Certificate by user agency for complying the condition imposed in geologist report/Task force recommendation in hill areas	85	Attached
2.33	No historical/monumental or relegeous place will be effected.	86	Attached
2.34	Undertakoing regarding no animal will be effected adversely by the project	87	Attached
2.35	Undertading to provide alternative fuelwood, kerosene or LPG to labours involved in project	88	Attached
2.36	Benefited villages/Families/Population Certificate	89	Attached
2.37	NPV calculation certificate as per Hon'ble Supreem court /MoEF orders	90	Attached
2.38	Undertaking of payment of NPV, if Hon'ble Supreem Court increses the rates of NPV	91	Attached
2.39	Cost of the forest land and lease rent certificate	—	Not Required
2.40	Certificate of Lease period	—	Not Required

CHECK LIST

Name of Project : Construction of Motor Road from Thirpak Kandai Motor Road Km 02 to Choprakot.

Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
2.41	Demarcation of land to be diverted	92	Attached
2.42	Undertaking of user agency to bear the cost for demarcation work	93	Attached
2.43	Non-availability of non-forest land for compensatory afforestation certificate.	—	Not Required
2.44	Fact sheet / Other imp details	94-96	Attached


 Assistant Engineer
 Provincial Division, PWD
 Karanprayag


 Executive Engineer
 Provincial Division, PWD
 Karanprayag



कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
सातवौं वृत्त, लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

Phone/Fax :- 01372-252173

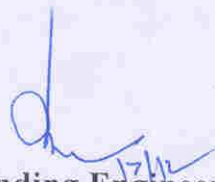
E-mail :- sepwdgope@rediffmail.com

पत्रांक :- 4987/2 लक

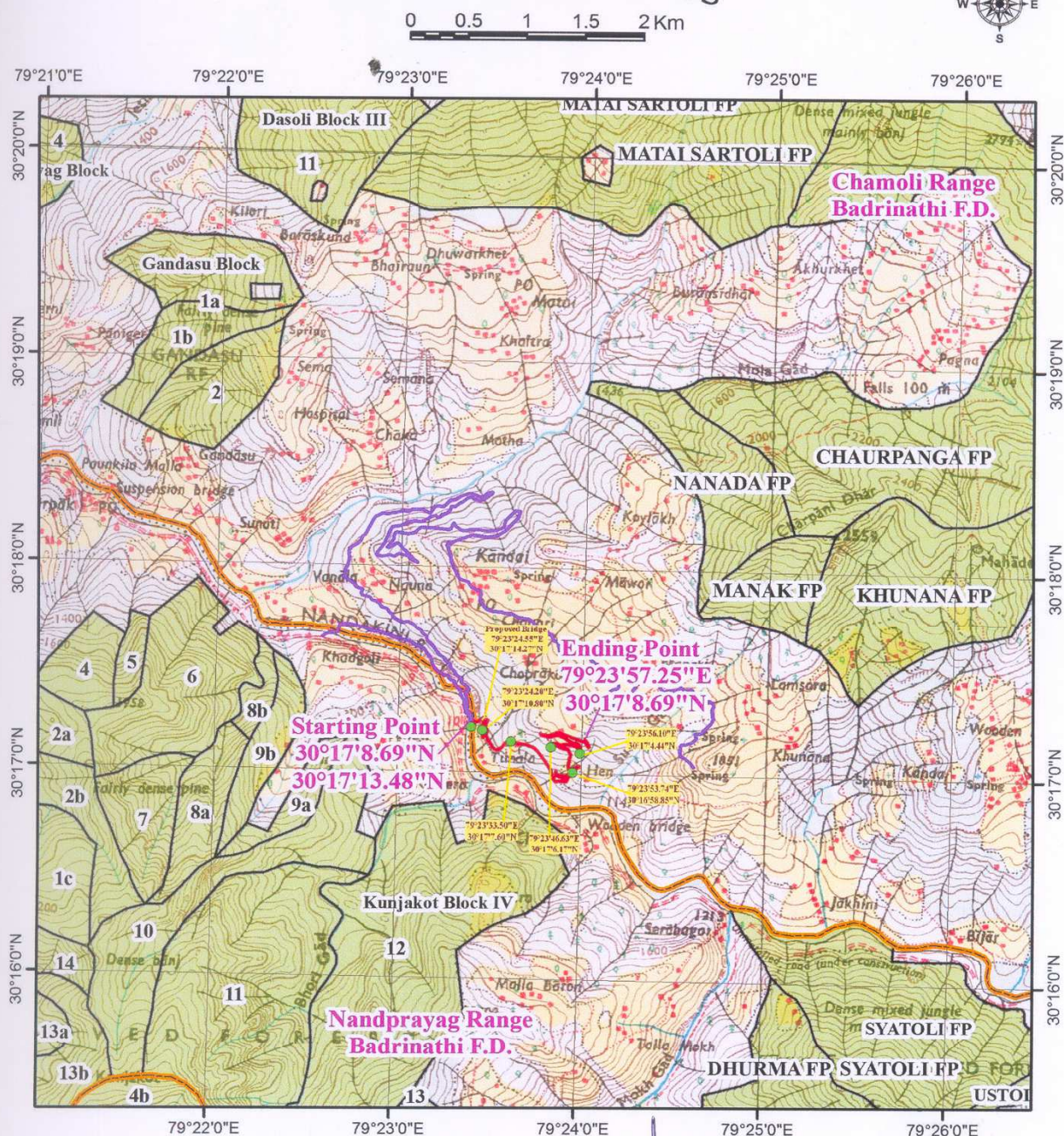
दिनांक :- 17/12/2014

Certificate

Mr. Adarsh Gopal Singh Son of Shri. P.R. Singh is hereby authorized to upload the Land Transfer Proposal regarding Roads of the Provincial Division, PWD, Karanprayag on the Government of India portal www.forestclearance.nic.in on behalf of the Superintending Engineer, 7th Circle, PWD, Gopeshwar (Chamoli).


Superintending Engineer
7th Circle, PWD,
Gopeshwar (Chamoli)

डिजिटल मैप – मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत थिरपाक काण्डई मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से चोपड़ाकोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु



Legend

- Muck Disposal
- Proposed_Road
- Existing_Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०लो०नि०वि०
कर्मप्रयाग

अधिशाली अभियन्ता
प्रत्तीय खण्ड लो० नि० वि०
कर्मप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
चमोली रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग वापशवर

प्रभागीय तलाधिकारी
बद्रीनाथ वन भाग
वापशवर (चमोली)

डिजिटल मैप -मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अंतर्गत जनपद चमोली के अंतर्गत थिरपाक काण्डई मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से चोपड़ाकोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु



Legend

- Dumping Zone
- Proposed Bridge
- Proposed Road
- Alternate Road
- Existing Road

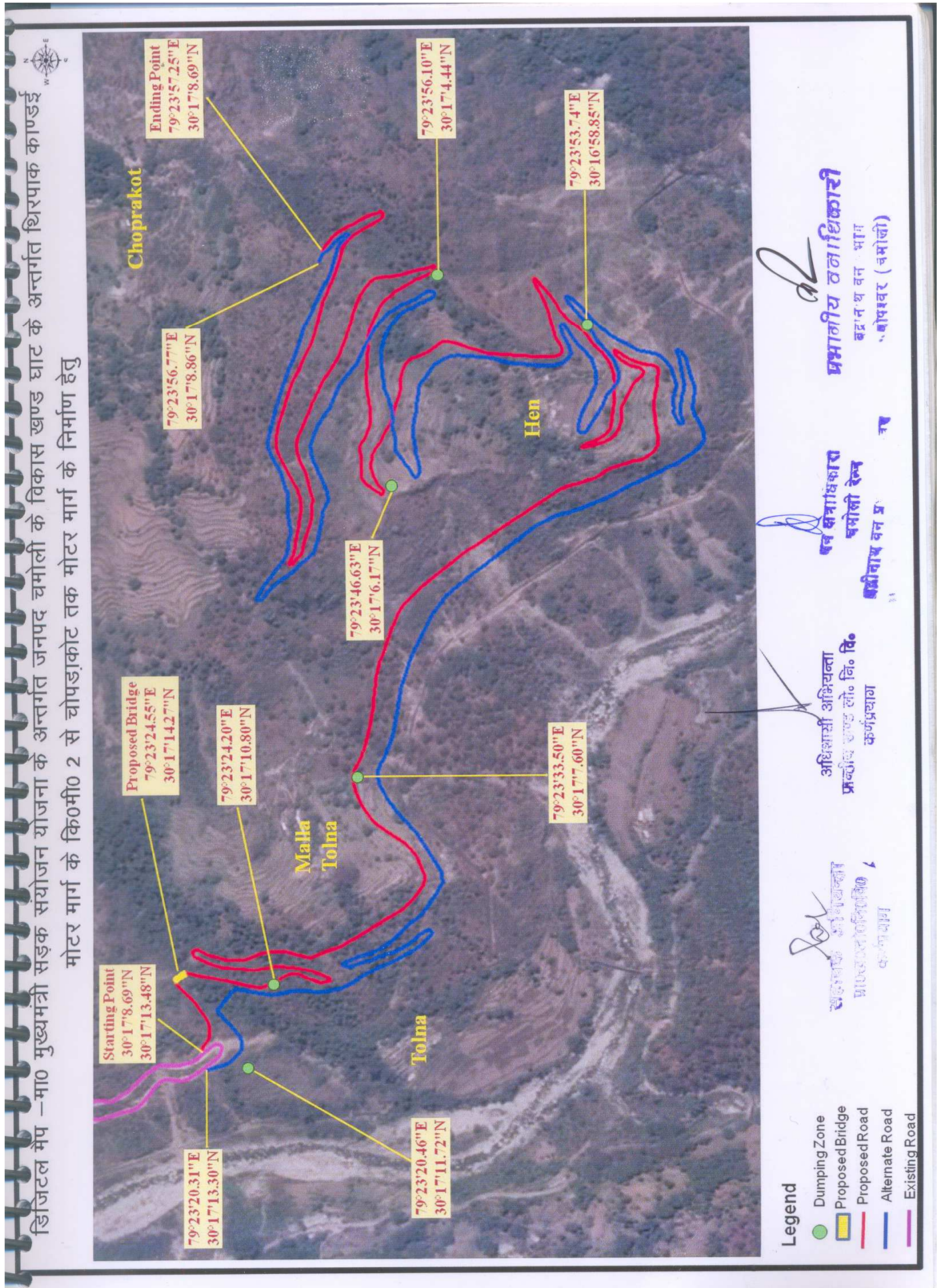
सहायक अभियन्ता
प्रा०स्व०ला०नि०वि०
कर्मप्रयाग

ब्र०००००
००००००

अधिसूची अभियन्ता
प्रा०स्व०ला०नि० वि०
कर्मप्रयाग

एन सीआर
चमोली रेल्वे
वर्दीनाथ वन प्र०

प्रशासकीय एन सीआर
वर्दीनाथ वन प्र०
बोर्डिंग (चमोली)



Justification

Name of The Project : Construction of Motor Road from Thirpak Kandai Motor Road Km 02 to Choprakot.

Necessity of the Project and Justification for locating the Project in Forest Area

Presently the villagers of the village Choprakot have to walk through a distance of 4 to 5 Km to meet their daily needs as there is no road connecting the village. Due to the non-existent of any road connectivity the lives of the villagers are in constant danger as there are no medical services which could be provided to them even in cases of emergency such as maternity.

Further, due to non-existent of the road connectivity the area remains backward in all respects. The main occupation of the villagers residing in this village is animal husbandry and agriculture.

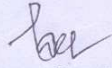
The villagers are forced to carry their cultivated crops such as Adrak, Mirch, Lehsoon, Dhan, Ghehun, Aloo, Green Vegetable, Onion etc. on their feet or by mules to the nearby market.

Due to the construction of road following benefits are provided to local People & Government too.

- 1- Enhance the social and economical development of this area.
- 2- Migration of people from the village shall be minimized.
- 3- Due to easily accessibility forest can be protected from fire during summer season to save Vegetation Plants & animals.
- 4- The Village People will travel large distance for their Jobs.
- 5- Local people will find jobs near their village.
- 6- More women will get employment & will improve their economic situation.
- 7- Educational development in this area.
- 8- Hospital and medical facilities.

The forest land area falling in the proposed alignment of the road which is 2.367 Hectare has been surveyed to the minimum and also the alignment of the road has been proposed in such a manner that there shall be a minimum of tree felling. Other than the proposed alignment for the road, there is no such alignment which shall reduce the diversion of forest area or felling of the trees. The overall width proposed for acquiring of the land is 7.00m and the construction of the road shall be carried out in a width of 6.00 in straight reaches. The Geological Investigation along the proposed alignment has been carried out which also states that the proposed alignment of the road is safe for construction. There are no graveyards, religious, historical/monumental or legendary places falling in the proposed alignment of the road.

In view of the above facts and in public interest, it is requested that the Forest land area of 2.367 Hectare may kindly be diverted for the construction of the road.


Assistant Engineer
Provincial Division PWD
Karanprayag


Executive Engineer
Provincial Division PWD
Karanprayag

Annexure-I

FORM-I
(for Linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No. /

Dated : / /2014

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that 2.367 Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Public Works Department Uttarakhand for Construction of Motor road from thirpak kandai motor road km 02 to Choprakot. falls within jurisdiction of Choprakot Village in chamoli Palsil./Ghat Palsil

It is further certified that :-

- (a) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.367 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it,
- (c) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above


A.Kumar (IAS)
District Magistrate
Chamoli (Uttarakhand)
जिलाधिकारी
चमोली

**Office of the District Collector,
District-Chamoli (Uttarakhand)**

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act)FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri A.Kumar (IAS), District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 26.03.2015 At 13.00 Hrs at Chamoli in which the application claiming rights in Village Choprakot of Tehsil Chamoli area Measuring 2.367 Hectares for the Construction of Motor road from thirpak kandai motor road km 02 to Choprakot. of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Ghat / Chamoli Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

h

A.Kumar (IAS)
District Magistrate –cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli
जिलाधिकारी
चमोली

प्रपत्र-23.2

परियोजनाकानाम :- जनपद चम्पली विकास खण्ड घाट में माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत धिरपाक - काण्डई मोटर मार्ग के किमी० ०२ से चौपडकोट तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य
कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जन जाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र
उपखण्डस्तरीय समिति

उपखण्ड घाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत धिरपाक - काण्डई मोटर मार्ग के कि०मी० ०२ से चौपडकोट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि ०.२४० हे० सिविल एवं सोयम वनभूमि १.६९२ हे० वनपंचायत भूमि, अर्थात् कुल १.९३२ हे० वनभूमि) का लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्डस्तरीय समिति, (तहसील घाट/चम्पली) की दिनांक २०-०३-२०१५ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति की बैठक श्री ब्रजधर कुमार सिंह उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री ब्रजधर कुमार सिंह उपजिलाधिकारी अध्यक्ष
- 2- श्री शिवानन्द कुमार उपप्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
- 3- श्री सुरेन्द्र लाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य / सचिव
- 4- श्री मती सुशीला रावत वनाधिकार समिति सदस्य (सुशीला रावत)
श्री भादियाल तरेह जेबो वनाधिकार समिति सदस्य
श्री मालदत्त पुरोहित वनाधिकार समिति सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि दिनप्राङ्ग काण्डरी मोटर मार्ग के 12m 02 से चौड़ाई के तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य परियोजना हेतु 1.9.77 हे० वनभूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्रामसभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुभांसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चमोली द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान का स्पष्ट करत हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वनअधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्रामसभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड घाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत दिनप्राङ्ग काण्डरी मोटर मार्ग के 12m 02 से चौड़ाई के तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.9.77 हे० वनभूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

Akash

उपजिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति

तहसील— घाट / चमोली

जनपद चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Akash

उपजिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति

तहसील— घाट / चमोली

जनपद चमोली

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :-

वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चौपडाकोट
तहसील धाद जिला चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

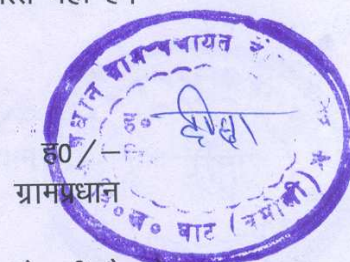
उत्तराखण्ड में जनपद चमोली अन्तर्गत धाद - 0033 मोटर मार्ग के कि० मी० 02 से चौपडाकोट मोटर मार्ग निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु शुद्ध 50 आरक्षित वनभूमि, 0.280 हे० सिविल सोयमभूमि, 1.697 हे० वनपंचायत भूमि अर्थात् कुल 1.977 हे० वनभूमि का लो० नि० वि० विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चौपडाकोट द्वारा दिनांक 16-03-15 को सम्पन्न ग्रामसभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चौपडाकोट के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हो/-
ग्रामसचिव
चौपडाकोट
धाद चमोली



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

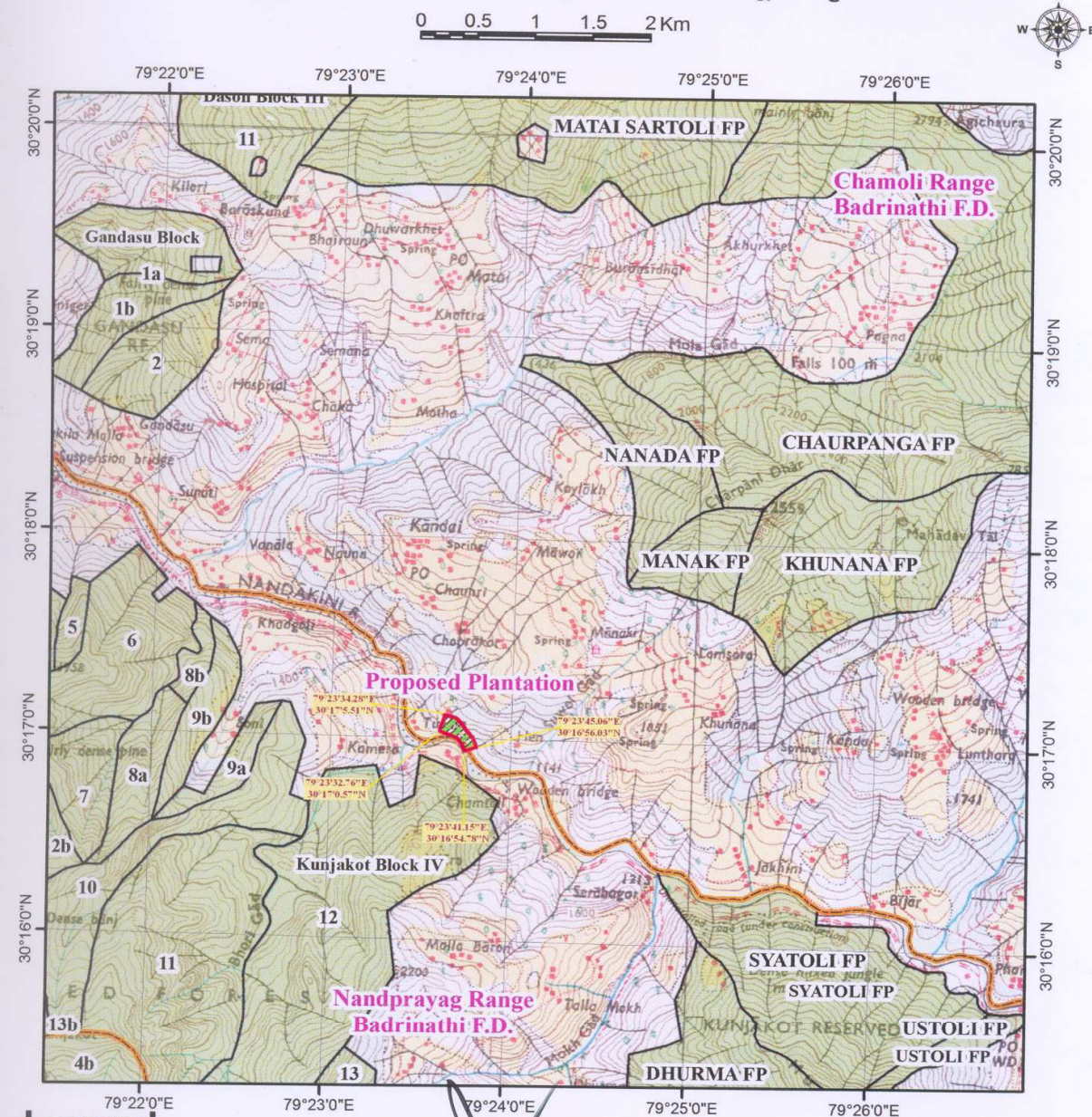
दिनांक 16-03-2015 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत चौपडाकोट

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	रामप्रसाद	Ramprasad
②	मधुसूदन मसाद	Madhusudan Masad
③	रमेशचन्द्र	Ramesh Chandra
④	जयपाल	Jaypal
⑤	नरेश कुमार	Narash Kumar
⑥	पवन खत्री	Pawan Khatri
⑦	विल्लुलाल	Villulal
⑧	राजेन्द्र लाल	Rajendra Lal
⑨	मासली देवी	Masali Devi
⑩	चन्द उजाड़	Chand Ujard
⑪	विजयराज	Vijayaraj
⑫	जय लाल	Jay Lal
⑬	रामप्रसाद शर्मा	Ramprasad Sharma
⑭	संजय उजाड़	Sanjay Ujard
⑮	नरेश देवी लोमला	Narash Devi Lomala
⑯	पवन खत्री	Pawan Khatri
⑰	म. मुकुन्द	M. Mukund
⑱	मशाराम	Masharam
⑲	शुभाष	Subhash
20	सरोज	Saroj

ह0/-
ग्रामप्रधान

डिजिटल मैप — मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत थिरपाक काण्डई मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से चोपड़ाकोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल



Legend

-  Proposed Plantation
-  Reserve Forest
-  Reserve Forest Boundary
-  Forest Range Boundary

प्रभागीय वन अधिकारी

बदनाथ वन प्रभाग
चोपड़ा (चमोली)

अध्यायी अभियन्ता
प्रा०ख०लो०नि०वि०
कर्मप्रयाग

अध्यायी अभियन्ता
प्रा०ख०लो०नि०वि०
कर्मप्रयाग

वन सहायक
चमोली रेंज
बदनाथ वन प्रभाग चोपड़ा

Signature
T.E



सेवा में

प्रतीमान अधिशास्त्री अभियन्ता महोदय
प्रान्तीय खण्ड लोकनिर्माण विभाग कर्णप्रयाग

विषय: विकास खण्ड धाट के अन्तर्गत वमणशिला से हेंग, मल्ला तौनला, चौपड़ाकोट
सड़क निर्माण योजना के सम्बन्ध में अनापति प्रार्थनापत्र

महोदय,

हम समस्त प्रतिनिधि एवं क्षेत्रवासी चौपड़ाकोट, माणखी, हेंग, तौनला
काण्डई, चरी, खुनाना, पगना यह निवेदन करते हैं कि विकास खण्ड के
अन्तर्गत वमणशिला से हेंग, मल्ला तौनला चौपड़ाकोट सड़क निर्माण के
तहत 4 किमी० स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य की जनहित में इस सड़क का
विस्तारीकरण कर चिरपाक काण्डई मोटर मार्ग से जोड़ दिया जाए ताकि
समस्त क्षेत्रवासियों की सड़क सुविधा उपलब्ध हो सके। इस सड़क
निर्माण के सम्बन्ध में हम लोगों की वन पंचायत / निक्षी / राज्य बूमि
प्रदान करने हेतु सर्वसहमत हैं और हमें उक्त सड़क निर्माण कार्य में
किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

अतः पुनः निवेदन करते हैं कि जनहित की मध्यमजर खर्चते हुए
उक्त सड़क निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जाए तथा इसका विस्तारीकरण
कर दिया जाय।

दिनांक

भवदीय

समस्त प्रतिनिधि एवं
क्षेत्रवासी ग्राम पंचायत चौपड़ाकोट
माणखी, काण्डई, चरी खुनाना
पगना,
वि० खं० धाट चमोली



सरपंच
वन पंचायत हेंग
विकास खण्ड धाट (चमोली)



ग्राम - बीना -

हो

① दयाराम -

दयाराम
fub

② रामेश्वरचन्द

③ राजदेवी -

राजेश्वरी देवी

④ सीतादेवी -

⑤ दशमी देवी -

काली देवी
काली देवी

⑥ भवानी प्रसाद -

भवानी प्रसाद

⑦ ममता देवी -

ममता देवी

⑧ लक्ष्मी प्रसाद -

लालिता प्रसाद

⑨ भगवती प्रसाद -

भगवती प्रसाद

⑩ शान्ता देवी -

शान्ता देवी

⑪ कलावती देवी -

कला देवी

⑫ असी देवी -

असी देवी

⑬ रेखा देवी प्रसाद -

Rekha Prasad

⑭ प्रकाश चन्द -

Prakash Chandra

⑮ ~~विनोद~~

⑯ विनोद गौड़

Vib

⑰ लक्ष्मी प्रसाद

Laxmi Prasad

⑱ ललित प्रसाद

ललित प्रसाद

⑲ पुर्वा देवी

पुर्वा देवी

⑳ पुरुषोत्तम

पुरुषोत्तम

㉑ विमानन्द

विमानन्द

㉒ चन्द्र कला देवी

चन्द्र कला देवी

㉓ ~~विनोद~~

चन्द्र कला देवी

㉔ ~~विनोद~~

चन्द्र कला देवी

㉕ ~~विनोद~~

चन्द्र कला देवी

㉖ ~~विनोद~~

चन्द्र कला देवी



सेवा के,

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता, महोदय

प्राचीन खण्ड लोक निर्माण विभाग कर्मप्रान्त,

विषय: विकास धाट के अन्तर्गत ब्रमणशिला से हेल, मल्ला तोनला चोपड़कोट सड़क निर्माण योजना के सम्बन्ध में अनुरोध प्रार्थनापत्र,

महोदय,

हम समस्त प्रतिनिधि एवं क्षेत्रवासी चोपड़कोट, माणखी, हेल तोनला काण्डर, चरी, खुनाना, पडाना यह निवेदन करते हैं कि विकास खण्ड के अन्तर्गत ब्रमणशिला, हेल मल्ला तोनला चोपड़कोट सड़क निर्माण के तहत 4 किमी० स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य को जनहित में इस सड़क का विस्तारीकरण कर धिरपाक काण्डर मोटर मार्ग से जोड़ दिया जाय ताकि समस्त क्षेत्रवासियों को सड़क सुविधा उपलब्ध हो सके, इस सड़क निर्माण के सम्बन्ध में हम लोगों को बन पंचायत/निजी/राज्य श्रमि प्रदान करने हेतु सर्वसहमत है और हमें उक्त सड़क निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

अतः पुनः निवेदन करते हैं कि जनहित को मध्यनजर रखते हुए उक्त सड़क निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जाय तथा इसका विस्तारीकरण कर दिया जाय,

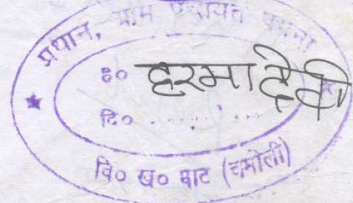
भवदीय

दि० १२-७-२०११

राकेश सिंह रायत
समस्त क्षेत्र पंचायत
खुनाना (माणली चोपड़ कोट)

समस्त प्रतिनिधि एवं क्षेत्रवासी
ग्राम पंचायत, चोपड़कोट,
माणखी, काण्डर, चरी, खुनाना,
पडाना,
वि० ख० धाट, चमोली

प्रमुख
क्षेत्र पंचायत
वि० ख० धाट (चमोली)



महोदय

पैरा

Team
Asha Purohit
Sumit
दवीप्रधान

वृत्ति चक्र

मारे
श्रीमती देवी

अच्छि वीरवी देवी गोरगा

दरिद्रता
वापस

विदेनी लार्व

अच्छि वीरवी देवी गोरगा

अच्छि वीरवी देवी गोरगा

विदेनी लार्व

अच्छि वीरवी देवी गोरगा

अच्छि वीरवी देवी गोरगा

विदेनी लार्व

अच्छि वीरवी देवी गोरगा

अच्छि वीरवी देवी गोरगा

विदेनी लार्व

अच्छि वीरवी देवी गोरगा

विदेनी लार्व

अच्छि वीरवी देवी गोरगा

विदेनी लार्व

अच्छि वीरवी देवी गोरगा

दरिद्रता
वापस

विदेनी लार्व

अच्छि वीरवी देवी गोरगा

विदेनी लार्व

अच्छि वीरवी देवी गोरगा

विदेनी लार्व

अच्छि वीरवी देवी गोरगा

विदेनी लार्व

अच्छि वीरवी देवी गोरगा

विदेनी लार्व

अच्छि वीरवी देवी गोरगा

विदेनी लार्व

अच्छि वीरवी देवी गोरगा

विदेनी लार्व

अच्छि वीरवी देवी गोरगा

विदेनी लार्व

विदेनी लार्व

अच्छि वीरवी देवी गोरगा

Justification

Name of The Project : Construction of Motor Road from Thirpak Kandai Motor Road Km 02 to Choprakot.

Necessity of the Project and Justification for locating the Project in Forest Area

Presently the villagers of the village Choprakot have to walk through a distance of 4 to 5 Km to meet their daily needs as there is no road connecting the village. Due to the non-existent of any road connectivity the lives of the villagers are in constant danger as there are no medical services which could be provided to them even in cases of emergency such as maternity.

Further, due to non-existent of the road connectivity the area remains backward in all respects. The main occupation of the villagers residing in this village is animal husbandry and agriculture.

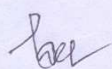
The villagers are forced to carry their cultivated crops such as Adrak, Mirch, Lehsoon, Dhan, Ghehun, Aloo, Green Vegetable, Onion etc. on their feet or by mules to the nearby market.

Due to the construction of road following benefits are provided to local People & Government too.

- 1- Enhance the social and economical development of this area.
- 2- Migration of people from the village shall be minimized.
- 3- Due to easily accessibility forest can be protected from fire during summer season to save Vegetation Plants & animals.
- 4- The Village People will travel large distance for their Jobs.
- 5- Local people will find jobs near their village.
- 6- More women will get employment & will improve their economic situation.
- 7- Educational development in this area.
- 8- Hospital and medical facilities.

The forest land area falling in the proposed alignment of the road which is 2.367 Hectare has been surveyed to the minimum and also the alignment of the road has been proposed in such a manner that there shall be a minimum of tree felling. Other than the proposed alignment for the road, there is no such alignment which shall reduce the diversion of forest area or felling of the trees. The overall width proposed for acquiring of the land is 7.00m and the construction of the road shall be carried out in a width of 6.00 in straight reaches. The Geological investigation along the proposed alignment has been carried out which also states that the proposed alignment of the road is safe for construction. There are no graveyards, religious, historical/monumental or legendary places falling in the proposed alignment of the road.

In view of the above facts and in public interest, it is requested that the Forest land area of 2.367 Hectare may kindly be diverted for the construction of the road.


Assistant Engineer
Provincial Division PWD
Karanprayag


Executive Engineer
Provincial Division PWD
Karanprayag

प्रेषक,

सहायक,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 28 मार्च, 2011

विशय:- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों की प्रशासकीय, वित्तीय एवं व्यय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता ग0क्ष0/कु0क्ष0, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध कराये गये संलग्न विवरणानुसार उल्लिखित 77 कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक कार्यों यथा विस्तृत आगणन का गठन, वन भूमि हस्तान्तरण, भू-अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट, कन्सलटैन्सी आदि मदों, के लिये टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 4950.43 लाख (₹ उन्चास करोड़ पचास लाख तिरालीस हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्न विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष में प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 77 कार्यों हेतु ₹ 7.70 लाख (₹ सात लाख सत्तर हजार मात्र) के व्यय की, महामहिम श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(ii)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0:-1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही पैदल सेतु का निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(iii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iv)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(v)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(vi)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vii)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्चोरमेंट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समस्त नियमों पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट में अनुमति के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगमन गठित करने के लिए अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(IX)- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिकारी अभियन्ता का होगा।

(X)- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०- 22-लेखापरीक्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कों-आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-03- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना-24 बृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(XI)- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 198/XXVII(2)/2010 दि०: 28 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महिमा)

अनु सचिव

सहायक अभियन्ता

प्रा०ख०लो०नि०वि०

कर्णप्रयाग

संख्या:- (1)/111(2)/11-05(प्रा०आ०)/2010 तददिनांक।

गतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।

आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।

समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।

मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।

समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।

समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो०नि०वि० उत्तराखण्ड।

लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन।

गार्ड बुक।

मुख्य अभियन्ता स्तर-1

लोक निर्माण विभाग

देहरादून

आज्ञा से,

(महिमा)

अनु सचिव

सं० 409/20 याता० - (क) / 10 डि० - 30/3/11

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

01-

02-

03-

मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।

समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।

समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो०नि०वि० उत्तराखण्ड।

लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन।

29	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड नारायणबगड़ में नारायणबगड़-भगोली मो0मा0 के किमी009 से सिलोडी-सनुडी-देवली लगा छैकुड़ा मो0मा0 का निर्माण।	4.00	50.40	0.10
30	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत थिरपाक-काण्डई मो0मा0 के किमी0 2 से चोपडाकाट तक मो0मा0 का निर्माण।	4.00+1 सेतु	50.40	0.10
31	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत आगर जिनगोड़ मो0मा0 का वासीसेम लगा अक्सवाडा तक मो0मा0 का विस्तार।	7.00	88.20	0.10
32	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के वि0ख0 कर्णप्रयाग में गौचर-दुवा मो0मा0 से ग्राम अंगोथ तक मो0मा0 निर्माण का प्रारम्भिक आगणन।	2.00	25.20	0.10
33	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में वि0ख0 पोखरी में रौता-मालकोटी-सेरा मो0मा0 निर्माण का प्रारम्भिक आगणन।	5.00	63.00	0.10
34	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकासखण्ड देवाल में मानमति-चोटिंग-हरमल-झलिया मो0मा0 का निर्माण।	20.00	252.00	0.10
35	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकासखण्ड थराली में जुनीधार-गोटिन्डा-दुन्डी मो0 मा0 का निर्माण	10.00	126.00	0.10
36	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत ग्राम भंग्यूल एवं गहर को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु 4.00 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग एवं किमी0 1.00 में अलकनन्दा नदी पर 90.00 मी0 स्पान मोटर सेतु का निर्माण	1 सेतु + 4.00 किमी0	50.40	0.10
37	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत कोडिया-सियासैण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग का विस्तार	मोटर मार्ग 4.50 किमी0 + 1 सेतु	56.70	0.10
38	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में अन्थोली-जाखाल मो0मा0 से विरानगांव तक मो0मा0 का नव निर्माण।	3.00	37.80	0.10
39	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में रुद्रप्रयाग-पोखरी मो0मा0 के किमी0 10 दमक्या बैण्ड से बाँटा लगा खतेणा तक मो0मा0 का नवनिर्माण।	3.00	37.80	0.10
40	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड ऊखीमठ में चुन्नी बैण्ड से सरुणा तक मो0मा0 का नव निर्माण का प्रारम्भिक आगणन।	3.00	37.80	0.10
41	मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड खानपुर में पुरकाजी-लक्कर मार्ग से धर्मपुर याहियापुर तक मार्ग निर्माण।	3.00	0.93	0.10

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

प्रारूप-6

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

आज दिनांक / 26 - 02 / 2015 को लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग (एजेन्सी) का नाम के द्वारा मोटर मार्ग / प्रस्तावित

परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री नामलाल (बंदा) राजस्व विभाग की ओर से श्री मालदत्त (पटवारी), प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री गौरव भंडारी (कनि.अभि.), अन्य दावेदारों की ओर से श्री नामलाल तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में श्री मती देवी देवी के द्वारा प्रशंगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल / समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों / समरेखन के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्ययता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन / स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 1175 (मी0) नाप भूमि, सिविल भूमि 400 (मी0) वन पंचायत से 2457 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखन / स्थल के चयन में 0.823 हे0 नाप भूमि, 0.00 सिविल भूमि, 0.00 वन पंचायत भूमि x हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 1.977 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी।

इस समरेखन पर / चुने गये स्थल पर लगभग वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से शून्य बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

इस समरेखन के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखन देखे गये उसमें 1100 मी0 नाप भूमि, 550 सिविल भूमि, 0.00 वन पंचायत 2530 वन पंचायत x मी0 आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखन / स्थल के चयन में कुल 0.770 हे0 नाप भूमि, 0.00 सिविल भूमि, 1.785 हे0 वन पंचायत भूमि तथा शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 1.865 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर / चुने गये स्थल पर लगभग वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से 26 बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त स्थल / समरेखन आरक्षित वन कक्षों से गुजरेगा / में स्थित है। इन कक्षों की वर्तमान वन आच्छादन है एवं इन कक्षों में प्रजाति के वन हैं। प्रभावित होने वाली नाप भूमि ग्राम एवं पर प्रजाति के वन हैं एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि पर विभिन्न प्रजाति के वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन है। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान N 30° 17' 21" E 079° 23' 34" है तथा तथा समरेखन का अन्तिम स्थल कण्डारा है जिसका GPS N 30° 17' 44" E 79° 23' 45" है। चुने गये समरेखन / स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान N 30° 17' 15" E 079° 23' 40" ① N 30° 17' 23" E 079° 23' 43" ② N 30° 16' 45" E 79° 23' 27" ③ N 30° 16' 48" E 79° 23' 80" ④ N 30° 17' 01" E 79° 23' 92" ⑤ N 30° 17' 10" E 79° 23' 77" ⑥ N 30° 17' 08" E 79° 23' 92" ⑦ N 30° 17' 14" E 79° 23' 73" ⑧ N 30° 17' 14" E 79° 23' 97" ⑨ N 30° 17' 14" E 79° 23' 97" ⑩

चयनित समरेखन में कुल 166 पौधों को अन्य स्थानान्तरित (translocate) किया जाना आवश्यक होगा।

चयनित उपयुक्त स्थल / समरेखन किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा है / नहीं है।

चयनित उपयुक्त स्थल / समरेखन के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन होगा / नहीं होगा।

इस समरेखन पर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु संलग्न योजनानुसार स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान ① XIS 0/0 N 30° 17' 11.10" E 079° 23' 20.2" ② XIS 0/9 N 30° 17' 10.8" E 079° 23' 24.2" ③ XIS 1/1 N 30° 17' 07.6" E 079° 23' 33.5" ④ XIS 1/31 N 30° 16' 58.85" E 79° 23' 53.74" ⑤ XIS 2/26 N 30° 17' 05.9" E 079° 23' 46.6" ⑥ XIS 2/39 N 30° 17' 04.44" E 079° 23' 46.6"

अन्य आवश्यक विवरण

हस्ताक्षर
(प्रयोक्ता एजेन्सी)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर
(वन विभाग)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर
(राजस्व विभाग)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर
(अन्य दावेदार)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर
(जन प्रतिनिधि)
प्रतिनिधि



वन क्षेत्राधिकारी
चमोली रेन्ज

क्षेत्रीय वन प्रभारी

Alignment			
Construction of Motor Road from thirpak kandai motor road km 02 to Choprakot.			
Sanctioned Length=4.00 K.M.			
Sl. No.	Particuler	Alignment No-1	Alignment No-2
1	Topography	start from Thirpak kandai Motor road K.M 2.	start from Thirpak kandai Motor road K.M 2.
2	Length of Road	4.000	4.000
3	Bridging requirment No. and Length	1	1
4	Geometric	Nap Land Civil Soyam vanpanchayat	Nap Land Civil Soyam vanpanchayat
	(a) Gradients	1:24 1:20 1:18 1:40	1:24 1:20 1:17 1:40
	(b) Curves, H.P. Bends	9 No. H.P. Bends	11 No. H.P. Bends
5	Existing means of communication, mule path, jeep, tracks etc.	Village are connected by foot trackes & mule.	Village are connected by foot trackes .
6	Right of wy, bringing out. Construction ao account of built up areas, monuments and other structures	No such Construction involved.	Same as Alighnment No. 1
7	(a) Terrain & soil condition	E.B.H.S.	E.B.H.S.V.H.S
	(i) Nature of soil	Cultivated & Hill Area	Cultivated & Hill Area & Hard Rock
	(ii) Geology of the area		
	(b) R%oad length passing through	Approx 22%	Approx 40%
	(i) Mountains terrain		
	(ii)Steep terrain		
	(iii) Rocky stretches with indication of length in loose rocky stretches	Approx 1.50 K.M. Rock portion & 2.50 K.M. ordinary road	Approx 2.50.00K.M. Rock portion & 1.50 K.M. ordinary road

	(iv) Area subject to avalanches and snow drift		
	(v) Slip Zone Area	Nil	Nil
	(vi) Cliffs & gorges	Nil	Nil
	(vii) Drainage characteristic of the area including susceptibility to flooding	Area has good drainage	Area has not good drainage
	(viii) General elevation of the road indicating maximum and minimum height negotiated by main ascends and descends	Maximum height 1600 m minimum height 1550m	Maximum height 1650m minimum height 1600m
	(ix) Variations extants and type	Nil	Nil
8	Climate condition:		
	(a) Temperature monthly max. & min. reading.	Approx 38 C to 1 C	Approx 28 C to 0 C
	(b) Rainfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available)	Not available	Not available
	(c) Snowfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available)	Mostly winter season (Record not available)	Mostly winter season (Record not available)
	(d) Wind direction and velocities	Not available	Not available
	(e) fog condition	Nil	Nil
	(f) Exposure to sun	Almost in whole year	Almost in whole year
	(g) Unusual weather conditions like cloud burst etc.	Nil	Nil
9	Facilities resources		
	(a) landing Ground	Not available	Not available
	(b) Dropping Zone	Not available	Not available

	(c) Food stuffs	Crops, potato, milk, Fruits	Crops, potato, milk, Fruits
	(d) Labour local availability and need for import	Local Nepali labour also available	Local Nepali labour also available
	(e) Construction material (Timber, Bamboo , Sand, Stone , Shingle etc. Extent of their availability and lead involved	stone locally available & other material available arround 202 Km away at Rishikesh.	Same as Alignment No. 1
10	Value of land , agriculture land , Irrigated land , built up land, forest land etc.	As per current Gov. Rate	As per current Gov. Rate
11	Approximate Cons. Cost	Total Cost Rs. 110 Lacs	Total Cost Rs. 120 Lacs
12	Access Pointv indicating possibility of induction of equipment	At present not available	Same as Alignment No. 1
13	Period required for construction	1.5 years case of the land transfer	Same as Alignment No. 1
14	Strategic Consideration	To provide better Communication	To provide better Communication
15	Important villages, towns and markets centers to be connected	Village Mangroli,Rambori,Sem	Village Rambori, Sem
16	Recreational potential	Good	Good
17	Economic Factors :		
	(a) Population served by the alignment	Around 800	Around 500
	(b) Agricultures and Economic potential of the area	Population at above village will be benifited Good	Population at above village will be benifited Good
18	Other major development projects being taken up electric projects etc.	Nil	Nil
19	(i) Misc. such as comping sites	Nil	Nil
	(ii) Law and other problem	Nil	Nil
	(iii) Royalty	Nil	Nil

	(iv) Availability of contractors for Availability of contractors for collection and carriage of construction material	Local Contractor are available for the work	Local Contractor are available for the work
	(v) Working period available for Construction of Work	Approximatly 9 month working period in a Year available	Same as Alignment No. 1
20	Merits	1:- Easy Grades Involved , 2:- Min. Nop Bnager Land affected from alignment, 3:-8 No H.P. Bends	Nil
21	Demerits	Nil	1:- Motor cost involved, 2:- More length of Alignment, 3:- More H.P. bends required, 4:- More dense forest Banger land affected from this alignment

Recommendations:-

Alignment no.(1) recommended for approval being more economical, useful & technically feasible.

J.E.
J.E.

P.D.P.W.D. Karanprayag

A.E.
A.E.

P.D.P.W.D. Karanprayag

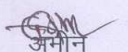
E.E.
E.E.

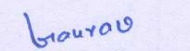
P.D.P.W.D. Karanprayag

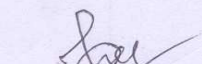
परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत थिरपाक-कण्डई मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से चोपडा कोट तक मोटर मार्ग का निर्माण ।

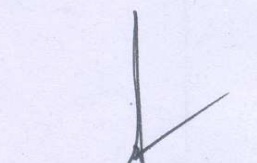
अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित 1.977 हे० वन भूमि की मांग न्यूनतम है इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

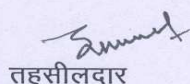

अमान
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

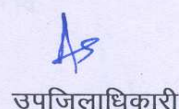

कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.

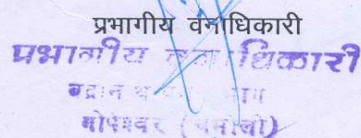

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

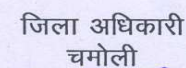

पटवारी क्षेत्र


तहसीलदार


उपजिलाधिकारी


वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
चमोली रेन्ज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेसबरा


प्रभागीय वन अधिकारी
प्रभागीय वन अधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेसबरा (चमोली)


जिला अधिकारी
चमोली
जिलाधिकारी
चमोली

लैन्ड शेड्यूल

सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिये (राजस्व विभाग)/ जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत थिरपाक-कण्डई मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से चोपडा कोट तक मोटर मार्ग का निर्माण ।

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा सं०	कुल रकबा हे.	याचित क्षेत्रफल (हे०)
चमोली	चमोली	नैणा चूरी (सिविल) (पि.ल.वि.व.न.)	2	3.559	0.070
		तुनाला (वन पंचायत)	3	10.907	0.717
		हीण (सिविल)	7	1.501	0.210
		हीण (वन पंचायत)	4	26.973	0.403
		नैणा(चोपडाकोट) वन पंचायत	2	5.572	0.577
	मक डिस्पोजल हेतु क्षेत्रफल	(सिविल)			0.390
		योग:-			2.367

अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.

सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

राजस्व उपनिरीक्षक

तहसीलदार

उप जिलाधिकारी

जनपद चामोली के विकास खाफे द्वारे में पिपरा काण्ड मोरया
के पी. सी. 2 से चोपसकोर तक नव निर्माण कार्य.

शाम चरी / परी क्षेत्री ली मी लहु सीन - दार जिला चमोली

क्रम सं.	वक्ता नं.	जिला वक्ता नं.	जिला वक्ता नं.	वक्ता नं.	नाम अभिधर	आराजि	विवरण
पिनकोटा रस्ता							
ग्राम - चर							
1	1365	1.640	0.020	1	उ. व. सरकार	सर्ज	पिनकोटा
2	125	1.919	0.050	1	उ. व. सरकार	सर्ज	पिनकोटा
			0.070				
ग्राम - तुनाला "वनपंचायत"							
1	252	3.005	0.175	3	उ. व. सरकार	वर्जर	वनपंचायत
2	259	5.817	0.538	3	— " —	वर्जर	71
3	260	2.035	0.004	5	— " —	— " —	"
			0.17	20			
उ. व. सरकार लो. नि. वि. सहायक अभियन्ता प्र. व. लो. नि. वि. प्र. व. लो. नि. वि. अधिशाली अभियन्ता प्रांतीय अण्ड, लो. नि. वि. कर्णप्रयाग (चमोली)							
उ. व. सरकार मा. व. लो. नि. वि. उ. व. सरकार मा. व. लो. नि. वि. उ. व. सरकार मा. व. लो. नि. वि.							

[illegible]

“राज्य भूमि खसैर की नकल”

काय का नाम :-

अनपद चैमानी के विकासखण्ड एवं विष्णुगढ़-काठुआ में रागी के किमी. पूर से चोपड़कोट तक मोरम भाग का निर्माण।

ग्राम हीण पर्ये-ब्रौली गलीबहुसिन-घाट जिला-बमोली

[illegible]

"राज्य भूमि रक्सेर की नकल"

कार्य का नाम:-

जनपद चमोली में विकासखण्ड धार में विपणन काण्ड की भागी
कमिमी 2 से चौपडाकोर तक ओर मार्ग का नव निर्माण

ग्राम नैठा पर्ये - दशोकी मण्डल सीतल - धार जिला - चमोली
(चौपडाकोर)

क्रम सी	रक्सा नं०	जिला रक्सा नं०	जिला रक्सा नं०	रक्सा नं०	नाम भूमिधर	आराजि	विवरण
					"वन पेचाया"		
1	888 न	3.109	0.380	3	उधरकार	चरागाह	वर्षावायव्य क्षेत्र
2	925 न	2.463	0.197	3	—	चरागाह	—
			0.577				
					सहायक अभियन्ता प्र. खण्ड लो० नि० वि० कर्ण प्रयाग (चमोली)	अधिशाली अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि० कर्ण प्रयाग (चमोली)	
					उपनिर्देश आधरवी	तस्वीलदार धार	उपनिर्देशिका चमोली

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विकास खण्ड घाट के अर्न्तगत थिरपाक-कण्डई मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से चोपडा कोट तक मोटर मार्ग का निर्माण ।

परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का प्रमाण-पत्र।

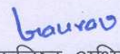
प्रस्तावित सिविल/वन पंचायत वन भूमि की लम्बाई 2825 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर
कुल 19770 वर्ग मीटर अर्थात 1.977 हे० है।

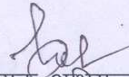
सिविल भूमि- लम्बाई- 400 मी. चौड़ाई- 7 मी = 0.280 हे.

वन पंचायत- लम्बाई- 2425 मी. चौड़ाई 7 मी. = 1.697 हे.

नाप भूमि- लम्बाई- 1175 मी. चौड़ाई-7 मी. = 0.823 हे.


अमान
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.


अधिशसी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत थिरपाक-कण्डई मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से चोपडा कोट तक मोटर मार्ग का निर्माण ।



आरक्षित वन भूमि	
सिविल एवं सोयम वन भूमि	
वन पंचायत भूमि	
नाप भूमि	

ब्राउन
J.E

अधीन

सहायक अभियन्ता
प्र. खण्ड लो० नि० वि०
कर्ण प्रयाग (चमोली)

प्रभागीय विकास अधिकारी
जनपद चमोली
चोपडा (चमोली)

ह०/
अधीन
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
कर्ण प्रयाग (चमोली)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण

1-परियोजना का नाम- जनपद चमोली विकासखण्ड घाट में मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत थिरपाक काण्डई मोटर मार्ग के किमी0 2 से चोपड़ाकोट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

2-वृक्षारोपण स्थल का नाम :-

3- क्षेत्रफल :- 1.977 hec x 2= 3.954 hec

4- रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 2000 पौध प्रति है0 - 7908.00

5- रोपित की जाने वाली प्रजातियां :-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु0)	योग
1	प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य				
1	सर्वे एवं सीमांकन	3.954	है0	78.00	308.41
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	3.954	है0	2543.00	10055.02
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फेन्सिंग)	3.954	है0	15309.00	60531.79
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्य हेतु प्राविधान				
	1- वानस्पतिक चैकडैम - 4x4588=18352.00	3.954	गड्ढे	5726.40	22642.18
	2- स्टोन चैकडैम - 4x4588=18352.00				
	3- वाटर हारवैटिंग टैंक (3x2.50x10)4x5140=20560.00				
	योग :- 57264.00				
5	गड्ढा खुदान कार्य (0.30X0.30X0.45) रेंखाकन चूना सहित	7908	किग्रा0	5.42	42861.36
6	निरीक्षण बटिया बनाना	20	गड्ढे	624.00	12480.00
7	पौध की कीमत	7908	गड्ढे	4.30	34004.40
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय	3.954	है0	624.00	2467.30
9	अन्य कार्य		ल0 स0		500.00
	योग - प्रथम चरण				185850.46
2	द्वितीय चरण				
1	गड्ढा भरण (0.30X0.30X0.45)	3.954	गड्ढे	0.97	3.84
2	पौधों का मूल्य	7908	पौधे	1.20	9489.60
3	पौध डुलान कार्य	7908	पौधे	6.00	47448.00
4	पौध रोपण व थालाबन्दी	7908	पौधे	1.89	14946.12
5	पौधों की निराई - गुड़ाई व मलचिंग (दो बार)	7908	पौधे	1.29	10201.32
6	खाद व दवा पर व्यय	7908	पौधे	1.00	7908.00
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय 7 माह	3.954	है0	468.00	12953.30
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0		ल0 स0		1000.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी. की पट्टी साफ करना		ल0 स0		2000.00
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।			L.S	1000.00
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड पौध डुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलिथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य			L.S	1000.00
10	अन्य कार्य		ल0 स0		500.00
	योग द्वितीय चरण :-				108450.1794
	वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रखरखाव				
क्र0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु0)	योग
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य				
1	पौधों की लागत	791.00	पौधे	5.50	4350.50

2	पौधे डुलान कार्य	791.00	पौधे	6.00	4746.00
3	पुनः गड्ढा खोदना एवं रोपण कार्य	791.00	गड्ढे	3.20	2531.20
4	गड्ढों में गोबर खाद डालना लागत सहित	791.00	गड्ढे	1.33	1052.03
5	पौधों की शीतकालीन मलचिंग	791.00	पौधे	1.11	878.01
6	वनीकरण चौकीदारी (12 माह) 1 वर्ष	3.954	है0	468.00	22205.66
7	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य		ल0 स0		2000.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0		ल0 स0		1000.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना		ल0 स0		2000.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना			L.S	1000.00
3	अन्य कार्य		ल0 स0		500.00
	योग				42263.40
वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	3.954	है0	468.00	22205.66
2	अन्य कार्य		ल0 स0		500.00
	योग				22705.66
वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	3.954	है0	468.00	22205.66
2	अन्य कार्य		ल0 स0		500.00
	योग				22705.66
वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	3.954	है0	468.00	22205.66
2	अन्य कार्य		ल0 स0		500.00
	योग				22705.66
वृक्षारोपण का पंचम वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	3.954	है0	468.00	22205.66
2	अन्य कार्य		ल0 स0		500.00
	योग				22705.66
वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	3.954	है0	468.00	22205.66
2	अन्य कार्य		ल0 स0		500.00
	योग				22705.66
वृक्षारोपण का सातवें वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	3.954	है0	468.00	22205.66
2	अन्य कार्य		ल0 स0		500.00
	योग				22705.66
वृक्षारोपण का आठवें वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त आठवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	3.954	है0	468.00	22205.66
2	अन्य कार्य		ल0 स0		500.00
	योग				22705.66
वृक्षारोपण का नौवें वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त नौवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	3.954	है0	468.00	22205.66
2	अन्य कार्य		ल0 स0		500.00
	योग				22705.66
वृक्षारोपण का दसवें वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त दसवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	3.954	है0	468.00	22205.66
2	अन्य कार्य		ल0 स0		500.00
	योग				22705.66
	कुल योग :-				540415.02

प्रभानीय वन अधिकारी

बटान थ वन प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)वन सहायक अधिकारी
चमोली रेन्ज

अधीनस्थ वन प्रभाग गोपेश्वर

मक डिस्पोजल योजना के सापेक्ष वृक्षारोपण :-

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में विकासखण्ड घाट में मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजना योजना के अन्तर्गत थिरपाक काण्डई मोटर मार्ग के किमी0 2 से चोपड़ाकोट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावित भूमि पर के बराबर वृक्षारोपण योजना का दसवर्षीय व्यय।

2- वृक्षारोपण स्थल का नाम :- मक डिस्पोजल हेतु चिह्नित प्लान के अनुसार। क्षेत्रफल :- 0.39 है0

3- रोपित किये जाने वाले कुल पौधों की सं0 (कुल क्षेत्रफल x 2000) = 0.39x 2000 = 780 पौधे

4- रोपित की जाने वाली प्रजातियां :-

क्र0सं0	कार्य मद विवरण	मात्रा	इकाई	इकाई दर	योग
1	2	3	4	5	6
(1)	प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य :-				
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.39	है0	78.00	30.42
2	स्थल सफाई कार्य	0.39	है0	2543.00	991.77
3	दीवाल बन्दी कार्य फन्सिंग 150 मी0 प्र0 है0 = 81 घ0मी0 @ 121/- घ0 मी0	0.39	है0	15309.00	5970.51
4	गडढे खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45) रेखांकन चूना सहित	780	गडढे	5.42	4227.6
5	डी0 ए0 पी0 खाद की लागत 25 ग्राम प्रति गडढा	19.5	किग्रा0	19.00	370.5
6	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	780	पौधे	4.30	3354
7	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य	0.39	है0	6240.00	2433.6
8	निरीक्षण बटिया बनाना	0.39	है0	624.00	243.36
	योग - प्रथम चरण				17,621.76
(2)	द्वितीय वर्ष रोपण कार्य :-				
1	झाड़ी कटान लैण्टाना गाजर घास/ काला बांस	0.39	है0	1287.00	501.93
2	गडढे भरान कार्य डी0 ए0 पी0 मिलाने सहित	780	गडढे	0.97	756.6
3	पौध दुलान कार्य	780	पौधे	6.00	4680
4	पौध रोपण कार्य	780	पौधे	1.89	1474.2
5	पौधों की प्रथम निराई गुड़ाई मलचिंग कार्य	780	पौधे	1.29	1006.2
6	पौधों की द्वितीय निराई गुड़ाई एवं मलचिंग कार्य	780	पौधे	1.11	865.8
7	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष	780	पौधे	1.20	936
8	वाचर (चौकीदार प्रथम वर्ष रोपण वर्ष) 8 माह	8	माह	468.00	3744
9	साईन बोर्ड आदि क्रय			L.S.	780
	योग द्वितीय चरण :-				14,744.73
	कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण :-				32,366.49
(3)	तृतीय वर्ष 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (वीडिंग अप) प्रति है0				
1	पौध की लागत	780	पौधे	5.50	4290
2	पौध दुलान कार्य	780	पौधे	6.00	4680
3	पुनः गडढा खेदना एवं रोपण कार्य	780	पौधे	3.20	2496
4	गडढों में गोबर खाद डालना लागत सहित	780	पौधे	1.33	1037.4
5	पौधों की शीतकालीन मलचिंग	780	पौधे	1.11	865.8
6	वनीकरण चौकीदारी (12 माह) 1 वर्ष	12	माह	468.00	5616
7	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	L.S.		310.00	310
	योग तृतीय चरण :-				19,295.20
(4)	चतुर्थ वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	468.00	5616.00
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	L.S.		310.00	310.00
	योग चतुर्थ चरण :-				5,926.00
(5)	पंचम वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	468.00	5616.00
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	L.S.		310.00	310.00
	योग पंचम चरण :-				5,926.00

(6)	छठा वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	468.00	5616.00
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	L.S.		310.00	310.00
	योग छठा चरण :-				5,926.00
(7)	सातवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	468.00	5616.00
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	L.S.		310.00	310.00
	योग सातवां चरण :-				5,926.00
(8)	आठवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	468.00	5616.00
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	L.S.		310.00	310.00
	योग आठवां चरण :-				5,926.00
(9)	नौवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	468.00	5616.00
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	L.S.		310.00	310.00
	योग नौवां चरण :-				5,926.00
(10)	दसवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	12	माह	468.00	5616.00
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	L.S.		310.00	310.00
	योग दसवां चरण :-				5,926.00
	सम्पूर्ण योग :-				93,143.69

प्रभानीय अधिकारी

बदाम वन प्रभाग
नोपेश्वर (चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
बदाम वन प्रभाग
चमोली, रज
बदीनाथ वन प्रभाग, नोपेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत थिरपाक-कण्डई मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से चोपडा कोट तक मोटर मार्ग का निर्माण ।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.740 हे. गजम तैलना सिविल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ली गयी है। वह क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


वन क्षेत्राधिकारी
चमोली डिव
बद्रीनाथ वन प्रभाग सोपेश्वर

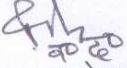
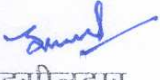

ह0/-
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्राज थ वन प्रभाग
सोपेश्वर (चमोली)

सिविल सोयम भूमि पर वृक्षारोपण की निरीक्षण रिपोर्ट एवं उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र

थिरपाक काण्डई मोटर मार्ग किमी. 2 से चोपड़ाकोट तक प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण में ग्राम तोलना, हीण व नैणा चोपड़ाकोट की 1.977 हे. सिविल/वनपंचायती भूमि प्रभावित हो रही है तथा 0.390 हे. सिविल भूमि मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित है। अर्थात् 2.367 सिविल/वनपंचायती भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित है। इस क्षेत्रफल के दुगने अवनत सिविल भूमि पर ग्राम तोलना के खाता नं. 3 खसरा नं. 252 रकबा 5.309 मध्ये 4.740 हे. सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है। यह भूमि राजस्व अभिलेखों में नान जेड ए श्रेणी 9 (3) ड, अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि दर्ज है। जो पटवारी क्षेत्र-माणखी, तहसील-घाट, जिला-चमोली के नियंत्रणाधीन है।

शासनादेश संख्या 883(i)/X-3/2011/8 (21)/2010 दिनांक 4 अक्टूबर 2011 के पश्चात शासनादेश संख्या 2882/viii(2)/ 11-18(120)/2010 दिनांक 11 नवम्बर 2011 के निर्देशानुसार प्रस्तावित उक्त सिविल सोयम भूमि जिसका परीक्षण राजस्व उप निरीक्षक माणखी द्वारा दिनांक 13.03.2015 को किया जा चुका है मौके पर प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इस भूमि पर किसी भी प्रकार के इमारती आदि के वन नहीं हैं, तथा वन स्वरूप नहीं है।

अतः उपरोक्त सिविल सोयम भूमि वन स्वरूप न होने के कारण वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

 वन दफ्तर प्रमुख वन अधिकारी चमोली जिला	 राजस्व उपनिरीक्षक माणखी	 वन क्षेत्र अधिकारी चमोली जिला
 सहायक अभियन्ता	 अभिधानी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो. नि. वि. कर्णप्रयाग (चमोली)	 तहसीलदार, चमोली
 प्रभागीय अधिकारी उप-वन संरक्षक चमोली जिला	 उपजिलाधिकारी	 जिलाधिकारी चमोली जिलाधिकारी चमोली

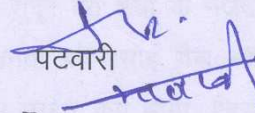
परियोजना का नाम— जनपद चमोली में विकास खण्ड घाट के अर्न्तगत थिरपाक—कण्डई मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से चोपडा कोट तक मोटर मार्ग का निर्माण ।

सिविल सोयम भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाण —पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र घाट के अर्न्तगत थिरपाक—कण्डई मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से चोपडाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण के स्थल निरीक्षण कर पाया गया कि प्रस्तावित संरक्षण पर वृक्ष खडे मौजूद हैं जिनकी गणना प्रस्तावक विभाग वन विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त निरीक्षण के समय की जा चुकी हैं। अतः शा.सं. 866/X-3 /2011 /8 (21) / 2010 दिनांक 28.9.2011 तथा 883/X-3/ 2011/8 (21) /2010 दिनांक 4.1.2011 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार उपरोक्त सिविल /वन पंचाती भूमि राजस्व अभिलेख ज.वि.र. खतौनी के श्रेणी 9 (3) ख, ग व ड में दर्ज कागजात है। एवं वन भूमि में वृक्ष खडे होने एवं वृक्षो का स्वरूप वन होने के कारण इस प्रस्तावित सिविल भूमि का भूमि हस्तान्तरण नियमानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अर्न्तगत आवश्यक है।

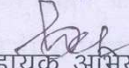
अतः याचक विभाग प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव वन अधिनियम 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति हेतु तैयार किया जा रहा है।

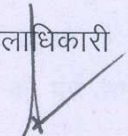

अमीन
J. & S.


पटवारी


तहसीलदार


उप जिलाधिकारी


सहायक अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.कर्णप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि
कर्णप्रयाग

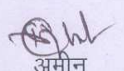

वन क्षेत्राधिकार
नन्दप्रयाग

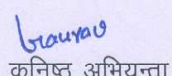

प्रधानी अधिकारी
बद्रनाथ वन भाग
चोपडा (चमोली)

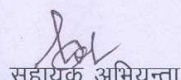
परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत
थिरपाक-कण्डई मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से चोपडा
कोट तक मोटर मार्ग का निर्माण ।

दुगने समस्त अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने
का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु 1.977 हे० वन भूमि के प्रत्यावर्तन के एवज में
दुगने अवनत वन क्षेत्र अर्थात् 3.960 हे० में देय क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी
मांग के अनुसार लो०नि०वि० द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।


अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.


अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

रिक्त पड़े स्थान पर वृक्षारोपण प्राक्कलन :-

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में विकासखण्ड घाट में मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजना योजना के अन्तर्गत थिरपाक काण्डई मोटर मार्ग के किमी0 2 से चोपड़ाकोट तक मोटरमार्ग 4.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण में रिक्त पड़े स्थान पर वृक्षारोपण प्राक्कलन।

स्थल का नाम	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है0 से किमी0	प्रस्तावित रोपण कार्य का विवरण	दर प्रति कि0 मी0 लाख में	धनराशि (रु0में)
1	2	3	4	5
थिरपाक काण्डई के किमी0 2 से चोपड़ाकोट	4.00 किमी0	पौध का मूल्य - 100 पौध रोपण कार्य, ट्री गार्ड का डुलान मूल्य एवं तीन वर्षों तक अनुरक्षण	2.00 लाख प्रति रो0 किमी0	8,00,000.00


प्रभारणीय वन अधिकारी
बदाम थ वन प्रभाग
शोपेश्वर (चमोली)

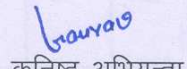

वन क्षेत्राधिकारी
चमोली रेन्ज
बदाम थ वन प्रभाग शोपेश्वर

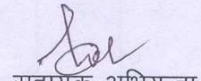
परियोजना का नाम:— जनपद चमोली में विकास खण्ड घाट के अर्न्तगत थिरपाक—कण्डई मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से चोपडा कोट तक मोटर मार्ग का निर्माण ।

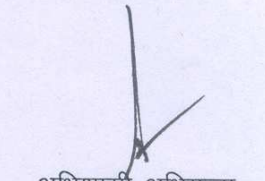
रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस—पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वॉछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।


अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.


अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

चमोली रेंज के अन्तर्गत थिरपाक काण्डई मोटर मार्ग के किमी 0 2 से चोपडाकोट मोटर मार्ग तक 4.00 किमी 0 मोटरमार्ग में प्रभावित वृक्षों की मूल्य सूची

क्र०सं०	प्रजाति व किस्म	वानस्पतिक नाम	व्यास वर्ग	संख्या	दर	धनराशि
1	2		4	5	6	7
1	चीड़	<i>Pinus roxburghii</i>	10-20	25	240.00	6000.00
			20-30	26	600.00	15600.00
			30-40	22	2330.00	51260.00
			40-50	2	5070.00	10140.00
	योग -			75		83000.00
2	बांज	<i>Quercus leucotrichophora</i>	10-20	2	145.00	290.00
			20-30	15	225.00	3375.00
			30-40	11	485.00	5335.00
			40-50	5	1050.00	5250.00
			50-60	2	1770.00	3540.00
			60-70	1	2580.00	2580.00
	योग -			36		20370.00
3	कलमिना		10-20	1	80.00	80.00
			20-30	6	160.00	960.00
			30-40	7	390.00	2730.00
			40-50	1	630.00	630.00
	योग -			15		4400.00
4	भीमल	<i>Grewia oppositifolia</i>	10-20	2	80.00	160.00
			20-30	6	160.00	960.00
			30-40	1	390.00	390.00
			40-50	2	630.00	1260.00
			50-60	2	780.00	1560.00
	योग -			13		4330.00
5	उत्तीस	<i>Alnus neplensis</i>	20-30	2	330.00	660.00
			30-40	3	550.00	1650.00
	योग -			5		2310.00
6	तुन	<i>Cedrela toona</i>	20-30	2	1160.00	2320.00
			40-50	1	4750.00	4750.00
	योग -			3		7070.00
7	रोहणी	<i>Melotus philipinensis</i>	10-20	1	80.00	80.00
	योग -			1		80.00
8	काफल	<i>Myrica esculenta</i>	20-30	1	160.00	160.00
	योग -			1		160.00
9	कठमहुआ	<i>Glochidion velutinum</i>	10-20	1	80.00	80.00
			20-30	1	160.00	160.00
	योग -			2		240.00
10	तिमला	<i>Ficus roxburghii</i>	20-30	2	160.00	320.00
			40-50	1	630.00	630.00
			60-70	1	1020.00	1020.00
	योग -			4		1970.00
11	जैकरेण्डा	<i>Jekrenda Mymocepholia</i>	10-20	1	80.00	80.00
			30-40	1	390.00	390.00
	योग -			2		470.00

क्र०सं०	प्रजाति व किस्म	वानस्पतिक नाम	व्यास वर्ग	संख्या	दर	धनराशि
1	2		4	5	6	7
12	आंवला	<i>Phyllanthus emblica</i>	20-30	1	160.00	160.00
			50-60	1	780.00	780.00
	योग -			2		940.00
13	खड़ीक	<i>Celtis australis</i>	20-30	1	160.00	160.00
			30-40	2	390.00	780.00
			40-50	1	630.00	630.00
			50-60	1	780.00	780.00
			90 over	1	1800.00	1800.00
	योग -			6		4150.00
14	जामुन	<i>Syagizium cumini</i>	30-40	1	3320.00	3320.00
	योग -			1		3320.00
	कुलयोग -			166		132810.00

प्रभागीय वनाधिकारी

बद्रीनाथ वन प्रभाग

गोपेश्वर (चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी

चमोली रेंज

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम -

जनपद चमोली में विकास खण्ड घाट के अर्न्तगत थिरपाक-कण्डई मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से चोपडा कोट तक मोटर मार्ग का निर्माण ।

क्र० सं०	ब्लाक	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
1	चमोली	बांज	2	5	7	4	1	1	—	—	—	20
2	दीण	"	—	10	4	1	1	—	—	—	—	16
												36

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है। क्योंकि ^{मार्ग} ~~सड़~~ निर्माण हेतु अन्य वैकल्पिक समरेखण उपयुक्त नहीं पाया गया। ^{यस} ~~यस~~ जनता के लिए अति महत्वपूर्ण है। अतः ^{सड़} ~~सड़~~ निर्माण हेतु — 36 — बांज वृक्षों के पातन की संस्तुति की जाती है। उक्त वृक्षों का पातन वन विकास निगम के द्वारा वन विभाग के शैड्यूल रेट पर नियमानुसार देय बिक्री कर अदा करने पर किया जायेगा।

वन क्षेत्राधिकारी
चमोली रेन्ज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

वन संरक्षक

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

परियोजना का नाम:— जनपद चमोली में विकास खण्ड घाट के अर्न्तगत थिरपाक—कण्डई मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से चोपडा कोट तक मोटर मार्ग का निर्माण ।

न्यूनतम वृक्षों के पातन का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र घाट के अर्न्तगत थिरपाक—काण्डई मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से चोपडाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण लम्बाई 4.00 कि.मी. तक नव निर्माण कार्य हेतु मोटर मार्ग निर्माण कार्य के समय समरेखण में आने वाले वृक्षों को बचाते हुये कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा।

ब्रान्स
J.६

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.,
कर्णप्रयाग।

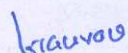
MUCK DISPOSAL PLAN

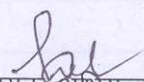
परियोजना का नाम:— जनपद चमोली में विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत थिरपाक—कण्डई मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से चोपडा कोट तक मोटर मार्ग का निर्माण ।

परियोजना से उत्पादित मलवें के निस्तारण की समानचित्र योजना

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में मलवे निस्तारण का समानचित्र योजना संलग्न की गयी है।

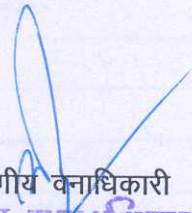

अमन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


वन क्षेत्राधिकारी
वन प्रभागिकारी
चमोली देव
कालीनाथ वन प्रभाग चोपेखर


प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रोनाथ वन प्रभाग
चोपेखर (चमोली)

Name of the Work :- Construction of Motor road from thirpak kandai motor road km 02 to Choprakot.

Material Received Due to Hill side Cutting = 42000.00 Cum
 Add Swell Factor @ 40% = 16800.00 Cum
Total = 58800.00 Cum

Use of Material -

Sl. No.	Length of Road	Item for Which Material is to be used	Quantity of Material Consumed (In Cum)
1	2	3	4
1	4.000	Stone Masonry in cement sand mortar	175.60
2	4.000	Stone Masonry laid Dry	1653.88
3	4.000	Hand Packed Stone Filling	803.32
4	4.000	Construction of Wire Crates	191.48
5	4.000	Granular Sub-Base (GSB)	2662.48
6	4.000	Construction of Parapets	217.88
7	4.000	Construction of Road Side Drain	105.16
8	4.000	Construction of Scuppers	1439.76
9	4.000	Concreting Works	85.20
10	4.000	Construction of Cooli Walling	264.00
11	4.000	Construction of Edge Stone	14.00
12	4.000	Construction of Causeway	144.00
13	4.000	GSB (Grading-1) Works	3169.16
14	4.000	G3 (Grading to be done using granulator at site)	1331.24
15	4.000	Super Elevation and Patri Filling	3267.56
		Total	15524.72

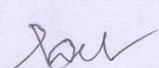
Material Left for Disposal

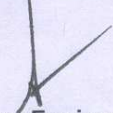
= (58800.00-15524.72) Cum

= 43275.28 Cum

As per the attached Detail, the capacity of the Dumping Zone

= 44150.00 Cum


 Assistant Engineer
 Provincial Division, PWD
 Karanprayag


 Executive Engineer
 Provincial Division, PWD
 Karanprayag

6/10/20
 J.S.

Name of the Work :- Construction of Motor road from thirpak kandai motor road km 02 to Choprakot.

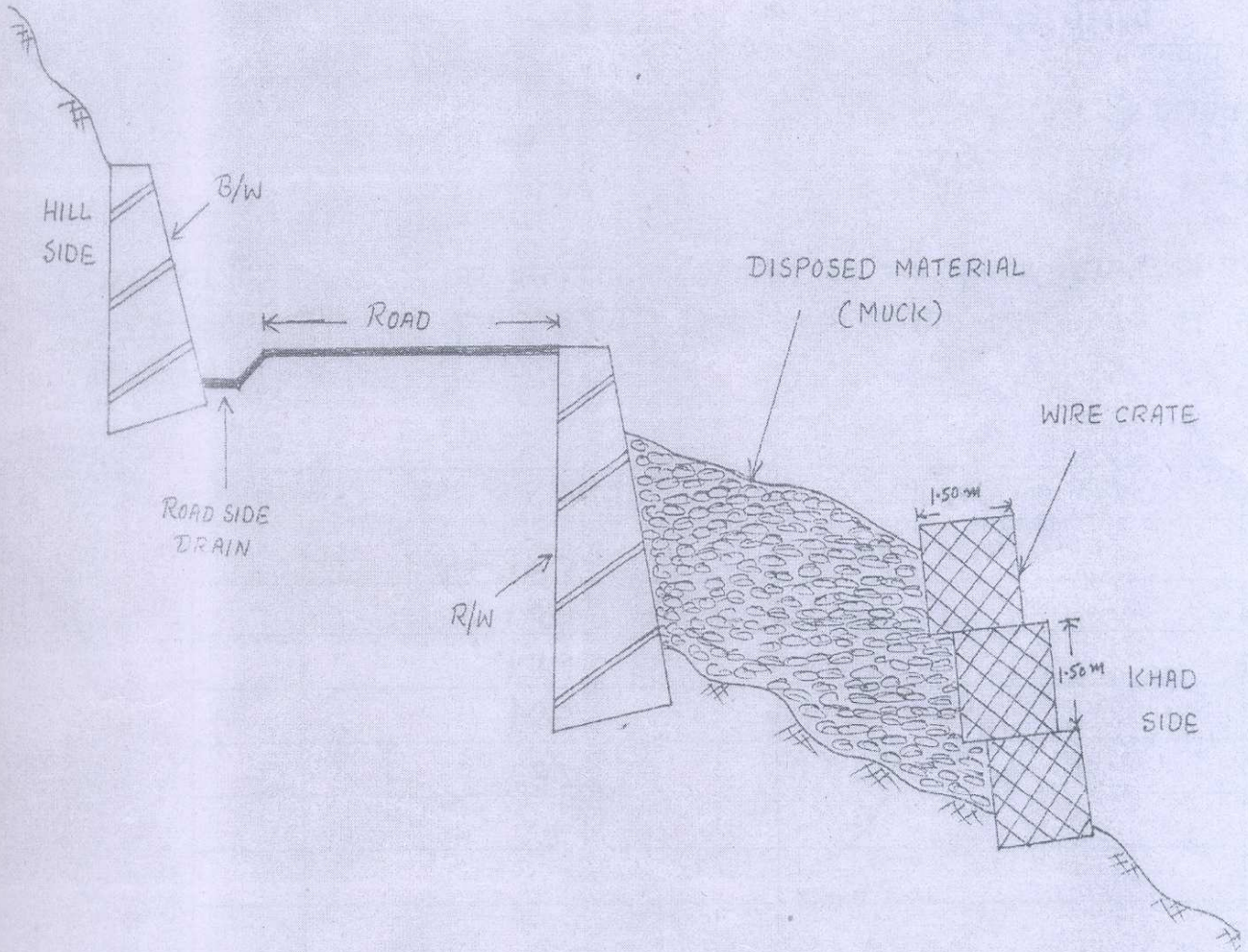
Sl. No.	Location of Dumping Yard	Type of Land	Khasra No.	Length (In m)	Width (In m)	Height of the Dumping Zone (In m)	Volume of the Dumping Zone (In Cum)	Longitude (E)	Latitude (N)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Km 1 Xs 0/0	Nap Land	127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	60.00	30.00	3.00	5400.00	79°23'20.46"	30°17'11.72"
2	Km 1 Xs 0/9	Forest Land	VILL - TOLNA - 259	60.00	40.00	5.00	12000.00	79°23'24.20"	30°17'10.80"
3	Km 2 Xs 1/1	Nap Land	VILL - TOLNA - 229, 230, 232, 233, 238	40.00	30.00	5.50	6600.00	79°23'33.50"	30°17'07.60"
4	Km 2 Xs 1/31	Nap Land	VILL - HEAN - 245, 246, 247, 248	40.00	20.00	5.50	4400.00	79°23'53.74"	30°16'58.85"
5	Km 3 Xs 2/26	Nap Land	VILL - HEAN - 54, 55, 56, 57, 59, 60	50.00	40.00	4.50	9000.00	79°23'46.63"	30°17'06.17"
6	Km 3 Xs 2/39	Forest Land	VILL - HEAN - 153	50.00	30.00	4.50	6750.00	79°23'58.18"	30°16'41.44"
						Total	44150.00		

Karanprayag
Junior Engineer
Provincial Division, PWD
Karanprayag


Assistant Engineer
Provincial Division, PWD
Karanprayag

Executive Engineer
Provincial Division, PWD
Karanprayag

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत थिरपाक-काण्डई मोटर मार्ग के किमी. 2 से चोपड़ाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण।



TYPICAL X-SECTION OF MUCK DISPOSAL PLAN

Gourav
JE

AE
सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०लो०नि०वि० /
कर्णप्रयाग

EE
अधिशायी अभियन्ता
प्रा०ख०लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के घाट ब्लॉक के अन्तर्गत श्री मधुरा प्रसाद श/० परमानन्द ग्राम पिलखोला
काँडे और भुडा के किनारे मोटर मार्ग जो भूमि निर्माण / मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की
गयी है, उस प्रयोजना हेतु भूमि ली जाती है तो मार्ग हित में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सरकारी दरो
पर अपनी भूमि देने को तैयार हूँ।

मधुरा प्रसाद
भवदीय

मधुरा प्रसाद श/० परमानन्द
राम. गोलन
पाठ - खुताला, जिला चमोली

का०सेक्शन १ पर प्रस्तावित मकडिस्पोजल हेतु नाप भूमिधर मधुरा प्रसाद श/० परमानन्द
ग्राम पिलखोला पटवारी वृत्त जागरवी जिला चमोली तहसील घाट के नाम की निम्न भूमि
प्रस्तावित है।

क्र०सं०	खाता न० / खसरा नं०	भूमि क्षेत्रफल (हे०)
1	127	०.०13
	128	०.०10
	129	०.०11
	130	०.०20
	135	०.०28
		०.०३२
		०.०३५
		जागरवी

भवदीय

डा. सुभाष साह डा. हार्दिक
ग्राम - तोलना पीछे खुन/गा
जिल्ला - चमोजी

का 0 सेक्शन पर प्रस्तावित मकडिस्पोजल हेतु नाप भूमिधर बालमुद्रा प्रसाद, पुत्र अनुराग
ग्राम पिन्डवाला पटवारी वृत्त नाणरवी जिला चमोली तहसील घाट के नाम की निम्न भूमि
प्रस्तावित है।

क्र०सं०	खाता न० / खसरा न०	भूमि क्षेत्रफल (हे०)
1-	2 138	०.०५०
	139	०.०१३
	140	०.०१३
		०.०७६ हे०
		५०३५००
		माणवी

भवदीय

पारिवृत्य पुत्र नारायणदत्त
ग्राम लोहना पोर-खुनाणा
जिला :- चम्पारण

का 0 सेक्शन $\frac{1}{4}$ से $\frac{1}{2}$ पर प्रस्तावित मकडिस्पोजल हेतु नाप भूमिधर पॉरेखल प्रब नारायणल
ग्राम तुनाला पटवारी वृत्त भाणरी जिला चमोली तहसील घाट के नाम की निम्न भूमि
प्रस्तावित है।

क्र०सं०	खाता न०/खसरा नं०	भूमि क्षेत्रफल (हे०)
1	5 233	0.029
2	5 238	0.028
		0.057 हे
		श्री उज्ज्वल
		मांरव

कार्य का नाम:- थिरपाक काण्डई मोटर मार्ग के किमी 0 2 से चोपड़ाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण।

Km 01 X/S 00/0



ब्राउन
ज.६

सहायक अभियन्ता

प्रा०स्व०लो०नि०वि०

वर्गप्रयाग

Km 01 X/S 00/9



ब्राउन
ज.६

सहायक अभियन्ता

प्रा०स्व०लो०नि०वि०

वर्गप्रयाग

कार्य का नाम:- थिरपाक काण्डई मोटर मार्ग के किमी 0 2 से चोपड़ाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण।

Km 01 X/S 01/1



Gourav
J.E

सहायक अभियन्ता
प्रा०स्व०लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

Km 01 X/S 01/31



Gourav
J.E

सहायक अभियन्ता
प्रा०स्व०लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

कार्य का नाम:- थिरपाक काण्डई मोटर मार्ग के किमी 0 2 से चोपड़ाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण।

Km 01 X/S 02/26



सहायक अभियन्ता
प्रा०स्व०लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

Km 01 X/S 02/39

ब्राउन
ज. ६.



सहायक अभियन्ता
प्रा०स्व०लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

ब्राउन
ज. ६.

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विकास खण्ड घाट के अर्न्तगत थिरपाक-कण्डई मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से चोपडा कोट तक मोटर मार्ग का निर्माण ।

राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र घाट के अर्न्तगत थिरपाक-कण्डई मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से चोपडाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य के निर्माण हेतु जो वन भूमि प्रस्तावित की गयी है, वह राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। उक्त मार्ग की राष्ट्रीय पार्क से दूरी लगभग ¹⁰~~20~~ किमी. से अधिक है।

वन क्षेत्र अधिकारी
वन क्षेत्र चमोली
वन क्षेत्राधिकारी
चमोली रेन्ज
बद्रीनाथ वन प्रभाग

उप वन संरक्षक
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)
प्रभागीय वन अधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विकास खण्ड घाट के अर्न्तगत थिरपाक-कण्डई मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से चोपडा कोट तक मोटर मार्ग का निर्माण ।

राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली उपरोक्त परियोजना में सिविल/वनपंचायती/आरक्षित वन भूमि राष्ट्रीय पार्क/ वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।

वन क्षेत्र अधिकारी
वन क्षेत्र चमोली
चमोली रेन्ज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

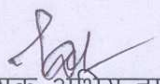
उप वन संरक्षक,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर (चमोली)
प्रभागीय वन अधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत
थिरपाक-कण्डई मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से चोपडा
कोट तक मोटर मार्ग का निर्माण ।

1980
वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र,

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र घाट के अन्तर्गत थिरपाक-काण्डई मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से चोपडाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य में जो वन भूमि प्रस्तावित की गयी है उसके अन्तर्गत कोई भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। अतः उक्त परियोजना के निर्माण में कोई वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन नहीं किया गया है।

baurav
J.D.


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग।


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग।

सेवा के,

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता महोदय

प्रादेशिक सड़क लोक निर्माण विभाग कन्नौज,

विषय: विकास धाट के अन्तर्गत बमनशिला से हेंग, मल्ला तोनला चोपडाकोट सड़क निर्माण योजना के सम्बन्ध में अनुरोध प्रार्थनापत्र,

महोदय,

हम सभस्त प्रतिनिधि एवं क्षेत्रवासी चोपडाकोट, माणखी, हेंग तोनला काण्डर, चरी, खुनाना, पठाना ग्रह निवेदन करते हैं कि विकास सड़क के अन्तर्गत बमनशिला, हेंग मल्ला तोनला चोपडाकोट सड़क निर्माण के तहत 4 किमी. स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य की जनहित में इस सड़क का विस्तारीकरण कर थिरपाक काण्डर मोटर मार्ग से जोड़ दिया जाय ताकि सभस्त क्षेत्रवासियों को सड़क सुविधा उपलब्ध हो सके, इस सड़क निर्माण के सम्बन्ध में हम लोगों को बन पंचायत/निजी/राज्य भूमि प्रदान करने हेतु सर्वसहमत है और हमें उक्त सड़क निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

अतः पुनः निवेदन करते हैं कि जनहित को मध्यनजर रखते हुए उक्त सड़क निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जाय तथा इसका विस्तारीकरण कर दिया जाय,

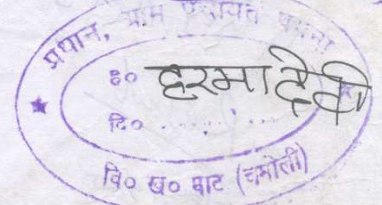
भवदीय

दिनांक 12-7-2011

राकेश सिंह रायत
सदस्य क्षेत्र पंचायत
खुनाना (माणखी चोपडा कोट)

सभस्त प्रतिनिधि एवं क्षेत्रवासी
शाम पंचायत, चोपडाकोट,
माणखी, काण्डर, चरी, खुनाना,
पठाना,
विखण धाट, चमोली

प्रमुख
क्षेत्र पंचायत
वि० ख० धाट (चमोली)



महोदय

पेसा

+ Team
Asha Purohit
Sumita
दलीप यादव

अरुण चन्द

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी लोकरा

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

अरुण शीतली देवी

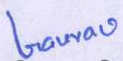
अरुण शीतली देवी

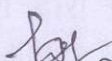
अरुण शीतली देवी

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत थिरपाक-कण्डई मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से चोपडा कोट तक मोटर मार्ग का निर्माण ।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

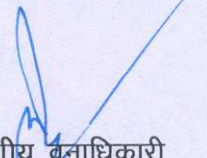
प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
चमोली देव
ब्रह्मनाथ वन प्रयाग गोपेन्द्र


प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
ब्रह्मनाथ वन भाग
बोधेश्वर (चमोली)

कार्यालय भूवैज्ञानिक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जिला टास्क फोर्स, चमोली एवं रुद्रप्रयाग, मुख्यालय गोपेश्वर

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग।

पत्रांक: 417 / जि0टा0फो0 / मोटर मार्ग / 2014-15,

दिनांक 13 फरवरी 2015

विषय: जनपद चमोली, विकासखण्ड घाट में माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत थिरपाक-काण्डई मोटर मार्ग के कि0मी0 02 से चोपड़ाकोट तक मोटर मार्ग समरेखण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र संख्या 99/2 सी0, दिनांक 12.01.2015, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली/रुद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित व सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग तथा जिसके द्वारा उपरोक्त समरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त मोटर मार्ग समरेखण स्थल का भूगर्भीय सर्वेक्षण सम्पन्न कर सर्वेक्षण आख्या आपके सुलभ संदर्भार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

सहायक भूवैज्ञानिक/
प्रभारी अधिकारी।

पृष्ठांक : / जि0टा0फो0 / मोटर मार्ग / 2014-15 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी महोदय, चमोली।
2. संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सहायक भूवैज्ञानिक/
प्रभारी अधिकारी।

नि0आ0सं0-477 जि0टा0फो0 च0 /रू0 /मोटर मार्ग /2014-15

जनपद चमोली, विकासखण्ड घाट मे माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत थिरपाक-काण्डई मोटर मार्ग के कि0मी0 02 से चोपड़ाकोट तक मोटर मार्ग समरेखण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग के पत्र संख्या 99/2 सी0, दिनांक 12.01.2015, जो कि भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली/रूद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित व सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग को पृष्ठांकित है तथा जिसके द्वारा जनपद चमोली, विकासखण्ड घाट मे माननीय मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत थिरपाक-काण्डई मोटर मार्ग के कि0मी0 02 से चोपड़ाकोट तक मोटर मार्ग समरेखण स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण श्री गौरव भण्डारी, कनिष्ठ अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग व श्री विरेन्द्र कुमार, ग्राम प्रधान खडगोली की उपस्थिति में सम्पन्न किया गया। भूगर्भीय निरीक्षण आख्या निम्नवत है :-

प्रश्नगत मोटर मार्ग समरेखण स्थल, थिरपाक-काण्डई मोटर मार्ग के कि0मी0 02 पर हेयरपिन बैण्ड से ग्राम चोपड़ाकोट तक कुल 4.000 कि0मी0 समरेखण निर्माण हेतु प्रस्तावित है। मार्ग समरेखण पहाड़ी ढालयुक्त के साथ कतिपय स्थलों पर सीढ़ीनुमा कृषियुक्त भूमि के रूप में अवस्थित है। मार्ग समरेखण का निर्माण 09 एच0पी0 बैण्ड्स के साथ निर्मित किया जाना प्रस्तावित है जो कि दक्षिणपश्चिम, दक्षिण व दक्षिणपूर्व फेसिंग पहाड़ी ढालों पर अवस्थित हैं। समरेखण में स्थानीय प्रजाति के वृक्ष, झाड़ियाँ आदि उगे हुये दृष्टिगोचर हो रहे हैं। कतिपय स्थलों पर मृदा की गहराईयुक्त प्रोफाइल विद्यमान है जिसमें स्थल मृदा बाहुल्य क्षेत्रों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं।

सम्पूर्ण मोटर मार्ग समरेखण में स्थल का पहाड़ी ढाल लगभग 20° - 50° दक्षिणपश्चिम विद्यमान है जिसमें पहाड़ी ढाल की दिशा समरेखण में लगभग दक्षिणपश्चिम, दक्षिण व दक्षिणपूर्व फेसिंग विद्यमान है जो कि कतिपय स्थलों पर इससे कम व अधिक तीव्रता के साथ अवस्थित है। मोटर मार्ग कटाव के पश्चात् अपस्लोप व डाउनस्लोप के स्थल आंशिक प्रभावित हो सकते हैं। चूंकि मोटर मार्ग कटाव के पश्चात् वर्तमान एंगिल ऑफ रिपोज परिवर्तित हो सकता है। मोटर मार्ग समरेखण पहाड़ी ढालयुक्त क्षेत्र है। समरेखण स्थल प्रथम दृष्ट्या कतिपय स्थलों पर मृदा व चट्टानों के कोणीय ब्लॉक्स के मिश्रित मलवे के रूप में अवस्थित है एवं कतिपय स्थलों पर चट्टानी भूभाग के रूप में विद्यमान है। मार्ग समरेखण में मृदा का रंग भूरा प्रकृति का दृष्टिगोचर होता है। उक्त मोटर मार्ग समरेखण स्थल के अपस्लोप व डाउनस्लोप में ग्रामीणों के आवासीय भवन अवस्थित हैं।

मोटर मार्ग समरेखण स्थल लेसर हिमालयी पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित क्षेत्र है। मार्ग समरेखण में सम्पूर्ण मोटर मार्ग स्थल कतिपय स्थलों पर मृदा व चट्टानों के मिश्रित मलवे व कतिपय स्थल चट्टानी भूभाग के रूप में विद्यमान है। समरेखण के मध्य कतिपय स्थलों पर भूधसांव क्षेत्र प्रथम दृष्ट्या दृष्टिगोचर होता है जिसे न्यून करने के लिए आवश्यक सिविल भूअभियांत्रिकी मैहजर्स का उपयोग किया जाना आवश्यक होगा। साथ ही

समरेखण के निचले भूभाग पर हिम ऊर्जा की टनल गुजर रही है जिसकी सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबन्ध किये जाय।

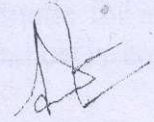
समरेखण के निचले व अपस्लोप भूभागों पर आवासीय/अनआवासीय भवन विद्यमान हैं जिनकी सुरक्षा हेतु मोटर मार्ग कटाव के दौरान उत्सर्जित मलवे को निचले पहाड़ी ढाल पर न फैलाया जाय। वर्षाकाल में स्थल पर अधोभूमि जल रिसाव व सतही जल प्रवाह की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता है जिससे स्थल पर मृदा अपरदन की सम्भावना में वृद्धि हो सकती है। ग्राम हीण के अपस्लोप में मार्ग समरेखण 06 हेयरपिन बैण्ड्स के साथ ग्राम चोपड़ाकोट तक निर्मित किया जाना है जो कि एक ही पहाड़ी ढाल पर अवस्थित हैं व निचले भूभाग पर ग्राम हीण अवस्थित है। उक्त के मध्य चट्टानों की नति पहाड़ी ढाल के आंशिक अनुकूल है जिसमें कि विस्फोटकों के प्रयोग से चट्टानों में व्याप्त ज्वाइंट ऑपनिंग की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता है। अतः उक्त हेतु उचित सिविल भूअभियांत्रिकी मैहजर्स का उपयोग किया जाय। मोटर मार्ग समरेखण में 09 हेयरपिन बैण्ड्स प्रस्तावित हैं।

उक्त स्थल पर किसी भी निर्माण से पूर्व निम्नलिखित सुझाव एवं शर्तों का पालन किया जाय :

1. समरेखण स्थल वन भूमि होने की दशा में माननीय उच्चतम न्यायालय के वन संरक्षण अधिनियम-1980 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 में निहित सम्पूर्ण प्राविधानों के अनुरूप वन विभाग से समुचित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।
2. चूंकि उक्त स्थल भूकम्पीय जोन-V में अवस्थित है अतः लघु से मध्यम तथा यदाकदा अधिक तीव्रता के भूकम्पनों से स्थल के प्रभावित होने की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता है।
3. मोटर मार्ग समरेखण में विस्फोटकों का प्रयोग परमिसिविल लिमिट तक किया जाय।
4. मोटर मार्ग कटाव के बाद टो सपोर्ट वाल का निर्माण आवश्यक होगा ताकि लम्बे कटाव अन्तराल से भूकटाव वाले भूभाग (मदर स्वाइल) पुनः स्थिर हो सके।
5. मोटर मार्ग के अपस्लोप व डाउनस्लोप में रिटेनिंग व ब्रेस्टवालों का निर्माण (वीप होल्स सहित व स्क्रीनिंग मटिरियल के साथ) किया जाय।
6. पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिए प्रस्तावित सिविल भूअभियांत्रिकी के अन्य मानकों एवं विशिष्टियों का पालन किया जाय।
7. वर्षाकाल के दौरान अपस्लोप से होने वाले अधोभूमि जल रिसाव को सुरक्षित ढंग से नियंत्रित कर दूर किसी सुरक्षित नालों/स्थानों पर छोड़ा जाय।
8. समरेखण में बनाये जाने वाले सुरक्षा धारक दीवारों/टो वाल, ब्रेस्टवाल, रिटेनिंग वाल (वीप हॉल सहित व स्क्रीनिंग मटिरियल के साथ) के आधार को सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रस्तावित स्थलों में जल निकासी की व्यवस्था इस प्रकार की जाय कि जल, दीवार के आधार की ओर न जाने पाय तथा ढालदार क्षेत्र के सतही एवं अन्तर सतही जल को चैनलाइज करने हेतु उचित प्रबन्ध पूर्व में ही किये जाय।

9. अन्कन्सॉलिडेटेड मृदा/मलवायुक्त भूभागों में मोटर मार्ग कटाव के पश्चात् शीघ्र पक्की टो सपोर्ट व मजबूत रिटेनिंग/ब्रेसवाल (वीप हॉल व स्क्रीनिंग मटिरियल युक्त) का निर्माण किया जाय।
10. मार्ग से ऊपर व नीचे पहाड़ी ढलान पर जहाँ आवश्यक हो समुचित पौधों का रोपण किया जाय जिससे ढलानों पर भूक्षरण की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सके।
11. उक्त मोटर मार्ग समरेखण में अधिकांश भूभाग मृदा बाहुल्य क्षेत्र के रूप में विद्यमान है अतः मोटर मार्ग कटाव में स्वाइल मैकेनिक्स के सुरक्षित व लॉजिकल सिद्धान्तों का प्रयोग करते हुए मोटर मार्ग निर्माण कार्य किया जाय।
12. मोटर मार्ग कटाव के पश्चात् शीघ्र पक्का कर सतही जल प्रवाह/अधोभूमि जल रिसाव को अन्दरूनी पहाड़ी ढाल की दिशा में पक्की ड्रेनेज नालियों द्वारा नियन्त्रित कर सतही जल प्रवाह को सुरक्षित स्थल/नालों में छोड़ा जाय।
13. पूर्व ओरवलोडेड व मोटर कटाव से निर्मित तीव्र मलवा ढालों/चट्टानी भूभाग को टो सपोर्ट एंकरिंग के साथ शीघ्र दिया जाय ताकि वर्षाकाल में मड/मृदा/मलवा, समीप की आबादी व कृषियुक्त भूमि को असुरक्षित न करे।
14. उक्त मोटर मार्ग समरेखण के निर्माण के दौरान उत्सर्जित मटिरियल को पहाड़ी ढालों पर न फैलाकर सुरक्षित स्थल पर निक्षेपित किया जाय जिससे वर्षाकाल के दौरान मड/डेबरी फ्लो की सम्भावना को न्यून किया जा सके।

प्रस्तावित स्थल पर एकत्रित किये गये सतही आंकड़ों, भूआकृति, भूप्रकृति एवं भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से उपरोक्त सुझाव व शर्तों के साथ प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर समरेखण स्थल, वर्तमान परिस्थितियों में मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त प्रतीत होता है।



(अमित गौरव)
सहायक भूवैज्ञानिक

Task Force Certificate

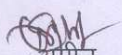
- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

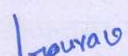
A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

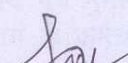
- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of shock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
- (v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with good results.

- (vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।


अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.

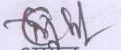

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

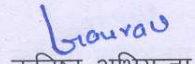
:मानक शर्तें:

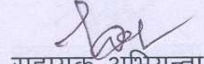
1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके याचक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं हाँगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाइनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ0प्र0 वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बाँज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

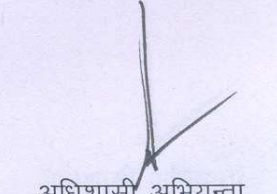
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।


अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.

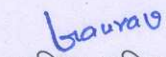

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

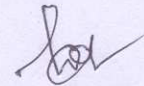
परियोजना का नाम:— जनपद चमोली में विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत थिरपाक—कण्डई मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से चोपडा कोट तक मोटर मार्ग का निर्माण ।

भू-वैज्ञानिक/ जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू-वैज्ञानिक/जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तों का निर्माण कार्य के दौरान लो०नि०वि० द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।


अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम:— जनपद चमोली में विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत थिरपाक—कण्डई मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से चोपडा कोट तक मोटर मार्ग का निर्माण ।

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

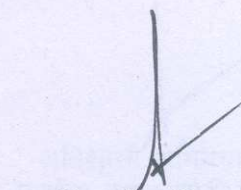
प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

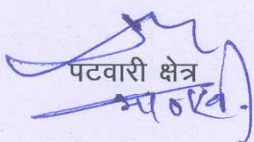
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

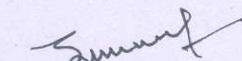

अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.

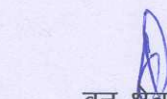

सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.

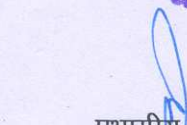

अधिकांसी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

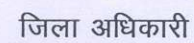

पटवारी क्षेत्र


तहसीलदार


उपजिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी
चमोली


वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
चमोली क्षेत्र
ब्रह्मनाथ वन प्रभाग भागेश्वर

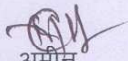

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
ब्रह्मनाथ वन प्रभाग
भागेश्वर (चमोली)

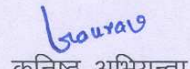

जिला अधिकारी
चमोली
जिलाधिकारी
चमोली

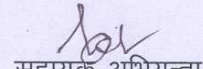
परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विकास खण्ड घाट के अर्न्तगत
थिरपाक-कण्डई मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से चोपडा
कोट तक मोटर मार्ग का निर्माण ।

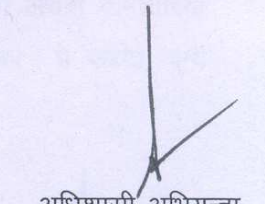
वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान
लो0नि0वि0 द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।


अमीम
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.


अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

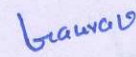
परियोजना का नाम— जनपद चमोली में विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत थिरपाक—कण्डई मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से चोपडा कोट तक मोटर मार्ग का निर्माण ।

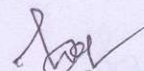
परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को जलौनी लकड़ी/ कूकिंग गैस आदि उपलब्ध कराया जाना ।

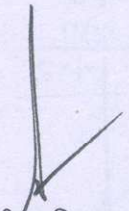
प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिकों अथवा कर्मचारियों के लिए निर्माण एजेन्सी विभाग डीजल एवं मिट्टी का तेल की आपूर्ति ईंधन के रूप में करेगा, वन्य जलौनी लकड़ी का उपयोग उक्त कार्य में नहीं किया जायेगा ।


अमीन
लो.नि.वि.


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत थिरपाक-कण्डई मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से चोपडा कोट तक मोटर मार्ग का निर्माण ।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

<u>ग्राम/नगर क्षेत्र</u>	<u>परिवार</u>	<u>जनसंख्या</u>
ग्राम- तोलना-		85
चरी		242
हींण		45
चोपडाकोट		175
	योग:-	547
अमीन लो.नि.वि. कर्णप्रयाग	कनिष्ठ अभियन्ता लो.नि.वि.	सहायक अभियन्ता लो.नि.वि.
		अधिशाली अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. कर्णप्रयाग

इको क्लास/एन.पी.वी. का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विकास खण्ड घाट के अर्न्तगत
थिरपाक-कण्डई मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से चोपडा
कोट तक मोटर मार्ग का निर्माण ।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग के अर्न्तगत पडने
वाली वन भूमि ईको क्लास V Dense Forest के अर्न्तगत आता है। जिसका एन.पी.वी.
का मूल्य 1.977 हे. प्रति है. X 845000.00/-की दर स रु. 16.70 (रु. सोलह लाख
सत्तर हजार) मात्र होता है।

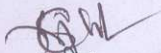
उप वन संरक्षक,
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

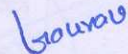
प्रभागीय तलाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

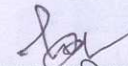
परियोजना का नाम:— जनपद चमोली में विकास खण्ड घाट के अर्न्तगत थिरपाक—कण्डई मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से चोपडा कोट तक मोटर मार्ग का निर्माण ।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि लो0नि0वि0 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी लो0नि0वि0 द्वारा जमा करा दी जायेगी।


अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.

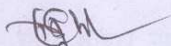

सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.

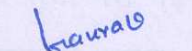

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

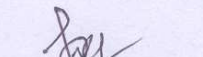
परियोजना का नाम:— जनपद चमोली में विकास खण्ड घाट के अन्तर्गत थिरपाक—कण्डई मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से चोपडा कोट तक मोटर मार्ग का निर्माण ।

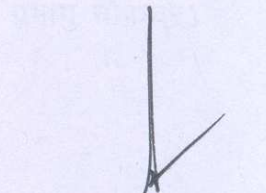
प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु आर0सी0सी0 पिलरों का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।


अमीन
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

सीमांकन प्राक्कलन :-

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में विकासखण्ड घाट में मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजना योजना के अन्तर्गत थिरपाक काण्डई मोटर मार्ग के किमी0 2 से चोपड़ाकोट तक मोटरमार्ग 4.00 किमी0 निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के सापेक्ष सीमांकन योजना का व्यय।

क्र०सं०	कार्य मद विवरण	कि० मी०	दर प्रति कि० मी०	धनराशि (रु०में)
1	2	3	4	5
1	R. C. R. पिलर (मुनारा) बनाना 1:6 सीमेंट मे मय प्लास्टर करना दो कोट चूना सफेदी नम्बर करना	4.00	11,640.00	46,560.00
	योग	4.00		46,560.00

प्रभानीय अधिकारी

बद्राज व वन प्रभाग

चोपड़ा (चमोली)

वन अधिकारी

चमोली देम

बद्राज व वन प्रभाग चोपड़ा

फैक्ट शीट

परियोजना का नाम— जनपद चमोली में विकास खण्ड घाट के अर्न्तगत थिरपाक—कण्डई मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से चोपडा कोट तक मोटर मार्ग का निर्माण ।

- 2:— प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है. में) 1.977 है.
 आरक्षित वन भूमि— — —शून्य— हे.
 सिविल एवं सोयम वन भूमि:— 0.280 हे.
 वन पंचायती भूमि— 1.697हें.
 मक डिस्पोजल क्षेत्र(सिविल)— 0.390 हे.
 निजी भूमि — 0.823 हे.
- 3:— प्रस्तावक विभाग का नाम :— लोक निर्माण विभाग
- 4:— वन प्रभाग का नाम :— बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।
- 5:— प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है:— ☒ हाँ / ☐ नहीं
- 6:— प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है:— ☒ हाँ / ☐ नहीं
- 7:— क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग -1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है। ☒ हाँ / ☐ नहीं
- 8:— क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है— ☒ हाँ / ☐ नहीं,
- 9:— प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है:— ☐ हाँ / ☒ नहीं,
- 10:—प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/ संलग्न है:— ☒ हाँ / ☐ नहीं
- 11:— बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में संबंधित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण—पत्र संलग्न है— ☐ हाँ / ☒ नहीं
- 12:— प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावत विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है। ☒ हाँ / ☐ नहीं

13:-समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप

से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है:-

✓ हॉ / नहीं,

14:- क्या वृक्षों की संख्या अनुसार हरियाली का घनत्व सही है:-

हॉ / नहीं

15:- क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल

उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है-

✓ हॉ / नहीं

16:- क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया

गया है:-

हॉ / नहीं

17:- प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर / परियोजना के आस-पास रिक्त

पडे स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है:-

✓ हॉ / नहीं

18:- क्या परियोजना क्षेत्र बन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से

महत्वपूर्ण है:-

✓ हॉ / नहीं

19:- प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है:-

यदि हॉ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है-

✓ हॉ / नहीं

20:- क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है:-

हॉ / नहीं

21:- प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से

आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे

बनाया जाना है तो पूर्व में जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति

की प्रति संलग्न करें):-

नया प्रस्तावित है।

22:- क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-2

रंगों से भरा गया है:-

✓ हॉ / नहीं

23:- यदि सडक का आरम्भिक विन्दु किसी मार्ग से निकलता

है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है:-

हॉ / नहीं

24:- क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का

उल्लंघन हुआ है:-

हॉ / नहीं

25:- यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय:-

हाँ/ नहीं ✓

26:- सडक निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/ वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं:-

हाँ/ नहीं ✓

27:- वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय):-

28:- लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है(5 है. से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा):-

हाँ/ नहीं ✓

29:- मानचित्र व वार चार्ट में एक रूपता है:-

हाँ/ नहीं ✓

30:- मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है:-
अथवा

हाँ/ नहीं ✓

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण -पत्र संलग्न है:-

हाँ/ नहीं ✓

31:- राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण -पत्र प्रस्ताव में संलग्न है:-

हाँ/ नहीं ✓

32:- क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में संलग्न है, यदि छाया प्रतियाँ संलग्न की गई है तो क्या वे सत्यापित है:-

हाँ/ नहीं ✓

33:- यदि वन भूमि लीज पर दी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र, संलग्न है:-

लागू नहीं

34:- वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है:-

हाँ/ नहीं

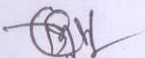
35:- क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है:-

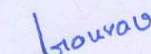
हाँ/ नहीं ✓

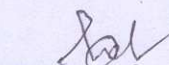
36:- क्या बैंक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र -संलग्न:-

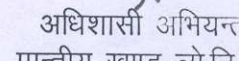
हाँ/ नहीं ✓

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फ़ैक्ट शीट एवं बैंक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है समस्त प्रमाण -पत्र / सूचनायें संलग्न कर दी गयी है।


अमीन
लो.नि.वि.


कनिष्ठ अभियन्ता
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग